एडिटोरियल

(संग्रह)

अक्तूबर भाग-2, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'बंधुत्त्व' शब्द की प्रासंगिकता 5
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'बंधुत्त्व' शब्द की प्रासंगिकता 8
- कुपोषण मुक्त भारत की राह में चुनौती बनते चाइल्ड 'स्टंटिंग' एवं 'वेस्टिंग' 10

आर्थिक घटनाक्रम **15**

- चरणबद्ध विनिर्माण नीति 15
- बाजरा: सुपरफूड 18
- जीएसटी और राजनीतिक वार्ताओं की जटिलता 20

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **24**

- बहुपक्षवाद: चुनौतियाँ और संभावनाएँ 24
- तालिबान शासन में महिला अधिकारों का भविष्य 27

नोट :

➢ मालाबार नौसैनिक अभ्यास तथा ऑस्ट्रेलिया 29

➢ ग्रीस-तुर्की के मध्य बढ़ता गतिरोध 32

➢ पश्चिम एशिया: बदलता परिदृश्य 35

➢ इंडो-पैसिफिक वार्ता: महत्त्व और चुनौतियाँ 37

➢ भारत-श्रीलंका संबंधों में बहुलवाद की भूमिका 40

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **44**

➢ राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण 44

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **48**

➢ अनियोजित शहरीकरण और प्राकृतिक आपदाएँ 48

The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'बंधुत्त्व' शब्द की प्रासंगिकता

संदर्भ:

भारत के संविधान-निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा में विद्वानों ने कुछ अहम घटनाओं का उल्लेख किया है। इनमें से एक प्रमुख घटना थी-भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का वर्ष 1931 का 'मौलिक अधिकार' संकल्प/प्रस्ताव। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने कराची अधिवेशन में यह संकल्प लिया कि 'भविष्य में किसी भी संविधान में लोगों के मौलिक अधिकारों जैसे- संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण की स्वतंत्रता' को शामिल किया जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का कराची अधिवेशन (वर्ष 1931):

- 29 मार्च, 1931 में कराची में कॉन्ग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में 'दिल्ली समझौते' यानि गांधी-इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई। 'पूर्ण स्वराज्य' के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया तथा भगतसिंह, राजगुरु व सुखदेव की वीरता एवं बलिदान की प्रशंसा की गई। यद्यपि कॉन्ग्रेस ने किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की अपनी नीति भी दोहराई।
- इस अधिवेशन में कॉन्ग्रेस ने दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया जिनमें एक 'मूलभूत राजनीतिक अधिकारों' से तो दूसरा 'राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों' से संबंधित था।
- मूलभूत राजनीतिक अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे:
  - अभिव्यक्ति व प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
  - सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता।
  - सभा व सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता।
  - जाति, धर्म व लिंग के आधार पर भेदभाव किये बिना कानून के समक्ष समानता।
  - सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव।
  - नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी।
  - अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि के संरक्षण व सुरक्षा की गारंटी।
- राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित थे-
  - मज़दूरों एवं किसानों को अपनी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता।
  - मज़दूरों के लिये बेहतर सेवा शर्तें, महिला मज़दूरों की सुरक्षा तथा काम के नियमित घंटे।
  - किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण।
  - अलाभकारी जोतों को लगान से मुक्ति।
  - लगान और मालगुजारी में उचित कटौती।
  - प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वचन।

एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (Annihilation of Caste):

- भारतीय संविधान निर्माण की यात्रा में दूसरी अहम घटना वर्ष 1936 में बी. आर. अंबेडकर का भाषण 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' (Annihilation of Caste) थी, जिसमें उन्होंने कहा था 'यदि आप जाति नहीं चाहते हैं तो आपका आदर्श समाज क्या है, यह एक प्रश्न है जो आपसे पूछा जाना ज़रूरी है। यदि आप मुझसे पूछें तो मेरा आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्त्व पर आधारित समाज होगा।'

The Vision

नोट :

- इतिहास के आलोक में बी. आर. अंबेडकर प्रमुख नेताओं में से एक थे जिन्होंने 'भ्रातृत्त्व' या 'बंधुत्त्व' शब्द को भारत की संवैधानिक चर्चा में शामिल किया।

उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution):

- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई। 13 दिसंबर, 1946 को जवाहर लाल नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया, इसमें संवैधानिक संरचना के ढाँचे एवं दर्शन की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
- इसमें कहा गया कि भारत के सभी लोगों के लिये न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी।
  - यद्यपि उपरोक्त शब्द प्रस्तावना की एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करते थे किंतु इसमें 'बंधुत्त्व' शब्द का अभाव था।
  - 21 फरवरी, 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बी. आर. अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद को लिखे पत्र में कहा था कि 'प्रारूप समिति ने प्रस्तावना में 'बंधुत्त्व' से संबंधित एक नया खंड जोड़ा है हालाँकि यह उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं है। प्रारूप समिति ने महसूस किया कि वर्तमान समय में भारत में बंधुत्त्व एवं सद्भाव की सबसे अधिक आवश्यकता है।'
    - गौरतलब है कि 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद देशभर में जनाक्रोश चरम पर था।
- 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के अपने प्रसिद्ध भाषण में बी. आर. अंबेडकर ने कहा कि 'बंधुत्त्व के बिना समानता और स्वतंत्रता की जड़ें अधिक गहरी नहीं होंगी।'

भारतीय संविधान और 'बंधुत्त्व':

- 'बंधुत्त्व' का अर्थ है- भाईचारे की भावना।
- भारतीय संविधान एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है।
- मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद-51A) भी कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द्र और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा।
- प्रस्तावना में बताया गया है कि 'बंधुत्त्व' के दायरे में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा-
  - व्यक्ति का सम्मान
  - देश की एकता और अखंडता ('अखंडता' शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया)

भारतीय संदर्भ में 'बंधुत्त्व' के सम्मुख चुनौतियाँ:

- भारतीय संविधान में वर्णित एकल नागरिकता के बावजूद वर्ष 2002 के गुजरात दंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध एवं हिंसा, भाषाओं पर आधारित उत्तर-दक्षिण विभाजन, अक्षमता एवं विविधता के कारण अन्य सामाजिक गतिरोध आदि सामाजिक सद्भाव में असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं।
- भारतीय संविधान में व्यक्तिगत एवं लोकतांत्रिक प्रणाली की बेहतरी के साथ-साथ व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने की बात कही गई है किंतु इसके सम्मुख चुनौतियों में जाति, लिंग आधारित आय असमानता, महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति जैसे- बलात्कार, घरेलू हिंसा, कम आर्थिक भागीदारी, लोकतांत्रिक देश के चुनावों में धन और बाहुबल का बढ़ता उपयोग आदि शामिल हैं।
  - भारत की 1% जनसंख्या के पास 73% संपत्ति है। वर्ष 2017 में इस शीर्ष 1% जनसंख्या की संपत्ति में वृद्धि, भारत के केंद्रीय बजट में हुई वृद्धि से अधिक थी।
  - नेशनल इलेक्शन वॉच (National Election Watch) और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (Association for Democratic Reforms- ADR) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ एक ओर वर्ष 2009 में गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या 76 थी, वहीं वर्ष 2019 में यह बढ़कर 159 हो गई। इस प्रकार वर्ष 2009-19 के बीच गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या में कुल 109% की बढ़ोतरी देखने को मिली।
  - WHO की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिदिन 3 में से 1 महिला किसी न किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा का शिकार होती है।

- 'देश की एकता और अखंडता' में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमायी आयाम शामिल हैं। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति परिलक्षित होती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिये बाधक, सांप्रदायिक, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं से पार पाना है किंतु अभी भी देश में ग्रेटर नगालिम, गोरखालैंड जैसे क्षेत्रों के लिये आंदोलन किये जा रहे हैं तो वहीं भारत-चीन सीमा विवाद, भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

संवैधानिक मूल्य के रूप में 'बंधुत्त्व' की स्थापना के लिये किये जाने वाले प्रयास:

- आपसी मतभेदों को कम करना: अल्पसंख्यकों को एक खास विचारधारा का पालन करने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये बल्कि परस्पर सद्भाव एवं सम्मान की भावना से लोगों के बीच सभी मतभेदों को कम किया जाना चाहिये।
- जन सहानुभूति को बढ़ावा देना: भ्रातृत्त्व का विचार सामाजिक एकजुटता के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसे जन सहानुभूति के बिना पूरा करना असंभव है। कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का मानना है कि सहानुभूति एक विशिष्ट मानवीय गुण है, यह मानव में जन्मजात होता है किंतु इसे सिखाया एवं पोषित किया जा सकता है।
- सामाजिक एकजुटता: न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज में सामाजिक एकजुटता प्रमुख घटक होता है। न्याय के लिये लड़ाई उन लोगों द्वारा लड़ी जानी चाहिये जो उस अन्याय के साथ रहते हैं।
- सामूहिक देखभाल: प्रत्येक वर्ष कम-से-कम दो मिलियन लोगों की भूख, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा और आवासीय सुविधा न होने के कारण मृत्यु हो जाती है। वहीं भारत में वर्ष 1943 के बंगाल दुर्भिक्ष में मरने वाले लोगों की संख्या तीन मिलियन थी। ये आँकड़े सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बंधुत्त्व की विफलता का प्रमाण हैं जिससे निपटने के लिये सामूहिक देखभाल की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - नोआम चॉम्स्की (Noam Chomsky) ने टिप्पणी की कि सामाजिक सुरक्षा का विचार मूल रूप से सिर्फ ऐसा विचार है जहाँ हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिये।
- भाईचारे को बढ़ावा: भारत में हाल के वर्षों में मुसलमानों, ईसाईयों और दलितों को लक्षित करने वाले घृणित अपराधों के कारण जब समाज के बाकी लोग चुप रहते हैं तो समाज में भाईचारा विफल होने लगता है। इसलिये उन मुद्दों पर मिलकर आवाज़ उठाई जानी चाहिये जो संवैधानिक दायरे में आते हैं।

निष्कर्ष:

- उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्त्व के पश्चिमी विचारों ने 19वीं सदी में भारतीय समाज के पुनर्जागरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तत्कालीन भारतीय समाज में कई रुढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएँ प्रचलित थीं, जिनमें से कई बुराई का स्वरूप धारण कर चुकी थीं। विभिन्न समाज सुधारकों ने इन्ही बुराईयों को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके द्वारा न केवल भारतीय समाज जागृत हुआ, बल्कि उसमें राष्ट्रवाद की भावना का भी प्रसार हुआ।
- संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के. एम. मुंशी के अनुसार, 'व्यक्ति की गरिमा' का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है बल्कि यह भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्त्व पवित्र है।'
- एक मज़बूत 'नेशन-स्टेट' के लिये 'बंधुत्त्व' एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो बड़े पैमाने पर विविधता वाले भारत जैसे देश को आपस में एक सूत्र में बांधे रख सकता है तथा समानता और स्वतंत्रता की जड़ों को मज़बूत कर सकता है।

"जैसे विभिन्न धाराएँ, विभिन्न दिशाओं से बहते हुए आकर एक ही समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही मनुष्य जो मार्ग चुनता है, चाहे वे अलग-अलग प्रतीत होते हों, सभी एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर ले जाते हैं। "वसुधैव कुटुंबकम" का संदेश देते हुए वे सारे विश्व को एक परिवार मानने की शिक्षा देते हैं।"

नोट :

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'बंधुत्व' शब्द की प्रासंगिकता

संदर्भ:

भारत के संविधान-निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा में विद्वानों ने कुछ अहम घटनाओं का उल्लेख किया है। इनमें से एक प्रमुख घटना थी-भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का वर्ष 1931 का 'मौलिक अधिकार' संकल्प/प्रस्ताव। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने कराची अधिवेशन में यह संकल्प लिया कि 'भविष्य में किसी भी संविधान में लोगों के मौलिक अधिकारों जैसे- संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण की स्वतंत्रता' को शामिल किया जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का कराची अधिवेशन (वर्ष 1931):

- 29 मार्च, 1931 में कराची में कॉन्ग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में 'दिल्ली समझौते' यानि गांधी-इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई। 'पूर्ण स्वराज्य' के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया तथा भगतसिंह, राजगुरु व सुखदेव की वीरता एवं बलिदान की प्रशंसा की गई। यद्यपि कॉन्ग्रेस ने किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की अपनी नीति भी दोहराई।
- इस अधिवेशन में कॉन्ग्रेस ने दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया जिनमें एक 'मूलभूत राजनीतिक अधिकारों' से तो दूसरा 'राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों' से संबंधित था।
- मूलभूत राजनीतिक अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे:
  - अभिव्यक्ति व प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
  - सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता।
  - सभा व सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता।
  - जाति, धर्म व लिंग के आधार पर भेदभाव किये बिना कानून के समक्ष समानता।
  - सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव।
  - नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी।
  - अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि के संरक्षण व सुरक्षा की गारंटी।
- राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित थे-
  - मज़दूरों एवं किसानों को अपनी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता।
  - मज़दूरों के लिये बेहतर सेवा शर्तें, महिला मज़दूरों की सुरक्षा तथा काम के नियमित घंटे।
  - किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण।
  - अलाभकारी जोतों को लगान से मुक्ति।
  - लगान और मालगुजारी में उचित कटौती।
  - प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वचन।

एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (Annihilation of Caste):

- भारतीय संविधान निर्माण की यात्रा में दूसरी अहम घटना वर्ष 1936 में बी. आर. अंबेडकर का भाषण 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' (Annihilation of Caste) थी, जिसमें उन्होंने कहा था 'यदि आप जाति नहीं चाहते हैं तो आपका आदर्श समाज क्या है, यह एक प्रश्न है जो आपसे पूछा जाना ज़रूरी है। यदि आप मुझसे पूछें तो मेरा आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज होगा।'
  - इतिहास के आलोक में बी. आर. अंबेडकर प्रमुख नेताओं में से एक थे जिन्होंने 'भ्रातृत्त्व' या 'बंधुत्व' शब्द को भारत की संवैधानिक चर्चा में शामिल किया।

उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution):

- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई। 13 दिसंबर, 1946 को जवाहर लाल नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया, इसमें संवैधानिक संरचना के ढाँचे एवं दर्शन की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

- इसमें कहा गया कि भारत के सभी लोगों के लिये न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी।
  - यद्यपि उपरोक्त शब्द प्रस्तावना की एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करते थे किंतु इसमें 'बंधुत्व' शब्द का अभाव था।
  - 21 फरवरी, 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बी. आर. अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद को लिखे पत्र में कहा था कि 'प्रारूप समिति ने प्रस्तावना में 'बंधुत्व' से संबंधित एक नया खंड जोड़ा है हालाँकि यह उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं है। प्रारूप समिति ने महसूस किया कि वर्तमान समय में भारत में बंधुत्व एवं सद्भाव की सबसे अधिक आवश्यकता है।'
    - गौरतलब है कि 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद देशभर में जनाक्रोश चरम पर था।
- 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के अपने प्रसिद्ध भाषण में बी. आर. अंबेडकर ने कहा कि 'बंधुत्व के बिना समानता और स्वतंत्रता की जड़ें अधिक गहरी नहीं होंगी।'

भारतीय संविधान और 'बंधुत्व':

- 'बंधुत्व' का अर्थ है- भाईचारे की भावना।
- भारतीय संविधान एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है।
- मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद-51A) भी कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द्र और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा।
- प्रस्तावना में बताया गया है कि 'बंधुत्व' के दायरे में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा-
  - व्यक्ति का सम्मान
  - देश की एकता और अखंडता ('अखंडता' शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया)

भारतीय संदर्भ में 'बंधुत्व' के सम्मुख चुनौतियाँ:

- भारतीय संविधान में वर्णित एकल नागरिकता के बावजूद वर्ष 2002 के गुजरात दंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध एवं हिंसा, भाषाओं पर आधारित उत्तर-दक्षिण विभाजन, अक्षमता एवं विविधता के कारण अन्य सामाजिक गतिरोध आदि सामाजिक सद्भाव में असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं।
- भारतीय संविधान में व्यक्तिगत एवं लोकतांत्रिक प्रणाली की बेहतरी के साथ-साथ व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने की बात कही गई है किंतु इसके सम्मुख चुनौतियों में जाति, लिंग आधारित आय असमानता, महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति जैसे- बलात्कार, घरेलू हिंसा, कम आर्थिक भागीदारी, लोकतांत्रिक देश के चुनावों में धन और बाहुबल का बढ़ता उपयोग आदि शामिल हैं।
  - भारत की 1% जनसंख्या के पास 73% संपत्ति है। वर्ष 2017 में इस शीर्ष 1% जनसंख्या की संपत्ति में वृद्धि, भारत के केंद्रीय बजट में हुई वृद्धि से अधिक थी।
  - नेशनल इलेक्शन वॉच (National Election Watch) और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (Association for Democratic Reforms- ADR) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ एक ओर वर्ष 2009 में गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या 76 थी, वहीं वर्ष 2019 में यह बढ़कर 159 हो गई। इस प्रकार वर्ष 2009-19 के बीच गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या में कुल 109% की बढ़ोतरी देखने को मिली।
  - WHO की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिदिन 3 में से 1 महिला किसी न किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा का शिकार होती है।
- 'देश की एकता और अखंडता' में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमायी आयाम शामिल हैं। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति परिलक्षित होती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिये बाधक, सांप्रदायिक, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं से पार पाना है किंतु अभी भी देश में ग्रेटर नगालिम, गोरखालैंड जैसे क्षेत्रों के लिये आंदोलन किये जा रहे हैं तो वहीं भारत-चीन सीमा विवाद, भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

संवैधानिक मूल्य के रूप में 'बंधुत्व' की स्थापना के लिये किये जाने वाले प्रयास:

- आपसी मतभेदों को कम करना: अल्पसंख्यकों को एक खास विचारधारा का पालन करने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये बल्कि परस्पर सद्भाव एवं सम्मान की भावना से लोगों के बीच सभी मतभेदों को कम किया जाना चाहिये।
- जन सहानुभूति को बढ़ावा देना: भ्रातृत्त्व का विचार सामाजिक एकजुटता के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसे जन सहानुभूति के बिना पूरा करना असंभव है। कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का मानना है कि सहानुभूति एक विशिष्ट मानवीय गुण है, यह मानव में जन्मजात होता है किंतु इसे सिखाया एवं पोषित किया जा सकता है।
- सामाजिक एकजुटता: न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज में सामाजिक एकजुटता प्रमुख घटक होता है। न्याय के लिये लड़ाई उन लोगों द्वारा लड़ी जानी चाहिये जो उस अन्याय के साथ रहते हैं।
- सामूहिक देखभाल: प्रत्येक वर्ष कम-से-कम दो मिलियन लोगों की भूख, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा और आवासीय सुविधा न होने के कारण मृत्यु हो जाती है। वहीँ भारत में वर्ष 1943 के बंगाल दुर्भिक्ष में मरने वाले लोगों की संख्या तीन मिलियन थी। ये आँकड़े सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बंधुत्व की विफलता का प्रमाण हैं जिससे निपटने के लिये सामूहिक देखभाल की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
    - नोआम चॉम्स्की (Noam Chomsky) ने टिप्पणी की कि सामाजिक सुरक्षा का विचार मूल रूप से सिर्फ ऐसा विचार है जहाँ हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिये।
- भाईचारे को बढ़ावा: भारत में हाल के वर्षों में मुसलमानों, ईसाईयों और दलितों को लक्षित करने वाले घृणित अपराधों के कारण जब समाज के बाकी लोग चुप रहते हैं तो समाज में भाईचारा विफल होने लगता है। इसलिये उन मुद्दों पर मिलकर आवाज़ उठाई जानी चाहिये जो संवैधानिक दायरे में आते हैं।

निष्कर्ष:

- उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के पश्चिमी विचारों ने 19वीं सदी में भारतीय समाज के पुनर्जागरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तत्कालीन भारतीय समाज में कई रुढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएँ प्रचलित थीं, जिनमें से कई बुराई का स्वरूप धारण कर चुकी थीं। विभिन्न समाज सुधारकों ने इन्ही बुराईयों को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके द्वारा न केवल भारतीय समाज जागृत हुआ, बल्कि उसमें राष्ट्रवाद की भावना का भी प्रसार हुआ।
- संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के. एम. मुंशी के अनुसार, 'व्यक्ति की गरिमा' का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है बल्कि यह भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्त्व पवित्र है।'
- एक मज़बूत 'नेशन-स्टेट' के लिये 'बंधुत्व' एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो बड़े पैमाने पर विविधता वाले भारत जैसे देश को आपस में एक सूत्र में बांधे रख सकता है तथा समानता और स्वतंत्रता की जड़ों को मज़बूत कर सकता है।

"जैसे विभिन्न धाराएँ, विभिन्न दिशाओं से बहते हुए आकर एक ही समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही मनुष्य जो मार्ग चुनता है, चाहे वे अलग-अलग प्रतीत होते हों, सभी एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर ले जाते हैं। "वसुधैव कुटुंबकम" का संदेश देते हुए वे सारे विश्व को एक परिवार मानने की शिक्षा देते हैं।"

-: स्वामी विवेकानंद :-

कुपोषण मुक्त भारत की राह में चुनौती बनते चाइल्ड 'स्टंटिंग' एवं 'वेस्टिंग'

संदर्भ:

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index- GHI), 2020 में बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की तुलना में भारत को 94वाँ स्थान दिया गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2020 के अनुसार, विश्व में लगभग 690 मिलियन लोग 'अल्पपोषित' (Undernourishment) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 144 मिलियन बच्चे 'स्टंटिंग' (Stunting) से ग्रस्त हैं, जो स्थायी/क्रानिक अल्पपोषण

(Chronic Undernutrition) को दर्शाता है, 47 मिलियन बच्चे 'वेस्टिंग' (Wasting) से ग्रस्त हैं यह भी 'तीव्र'/एक्यूट अल्पपोषण (Acute Undernutrition) को दर्शाता है। भारत में युवा बच्चों की संख्या जो बहुत दुबले-पतले हैं, गंभीर अल्पपोषण को दर्शाते हैं, और भारत को सबसे गरीब अफ्रीकी देशों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। इनमें से कुछ संकेतकों में पिछले पाँच वर्षों में वास्तविक गिरावट आई है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index- GHI) क्या है?

- 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक', भुखमरी की समीक्षा करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है, इसे आयरलैंड स्थित एक एजेंसी 'कंसर्न वर्ल्डवाइड' (Concern Worldwide) और जर्मनी के एक संगठन 'वेल्ट हंगर हिल्फे' (Welt Hunger Hilfe) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर भुखमरी की समीक्षा करना है।
- GHI स्कोर, चार संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है:
    - अल्पपोषण
    - चाइल्ड वेस्टिंग
    - चाइल्ड स्टंटिंग
    - बाल मृत्यु दर
- इन चार संकेतकों के मूल्यों के आधार पर 0 से 100 तक के पैमाने पर भुखमरी को निर्धारित किया जाता है जहाँ '0' सबसे अच्छा संभव स्कोर (भुखमरी नहीं) है और '100' सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है।
- इन संकेतकों से संबंधित आँकड़ों के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग किया गया है। हालाँकि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय डेटा का उपयोग करते हैं जैसे- भारत के संदर्भ में, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के डेटा का उपयोग किया जाता है।
    - वर्ष 2020 का GHI स्कोर वर्ष 2015-19 के आँकड़ों पर आधारित है।
- प्रत्येक देश के GHI स्कोर को निम्न से अत्यंत खतरनाक स्थिति के रूप वर्गीकृत किया जाता है।

GHI से संबंधित आँकड़ों के आधार पर भारत की अन्य देशों से तुलना:

- वर्ष 2020 में भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 27.2 के स्कोर के साथ 'गंभीर' (Serious) श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह दो दशक पहले की स्थिति से एक महत्त्वपूर्ण सुधार है जब भारत 38.9 स्कोर के साथ 'खतरनाक' (Alarming) श्रेणी में था।
- हालाँकि, ब्रिक्स देशों में भारत का स्कोर अन्य देशों की तुलना में कम है।
    - चीन और ब्राज़ील दोनों ने पाँच से कम स्कोर किया है जिसे भुखमरी का निम्न स्तर माना जाता है।
    - दक्षिण अफ्रीका 13.5 के स्कोर के साथ 60वें स्थान पर है जो भुखमरी के मध्यम स्तर को दर्शाता है।
- 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2020' में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में भारत 117 देशों में से 102वें स्थान पर रहा था, जबकि वर्ष 2018 में भारत 103वें स्थान पर था।
- गौरतलब है कि GHI-2020 में भारत ने सूडान के साथ रैंक साझा करते हुए, 107 देशों में से 94वीं रैंक प्राप्त की है।
    - कुल 107 देशों में से केवल 13 देश भारत से खराब स्थिति में हैं, जिनमें रवांडा (97वें), नाइजीरिया (98वें), अफगानिस्तान (99वें), लाइबेरिया (102वें), मोजाम्बिक (103वें), चाड (107वें) आदि देश शामिल हैं।
    - GHI-2020 के स्कोर के अनुसार, 3 देश- चाड, तिमोर-लेस्ते और मेडागास्कर भुखमरी के खतरनाक स्तर पर हैं।
    - GHI-2020 के अनुसार, दुनिया भर में भुखमरी की स्थिति 'मध्यम' स्तर पर है।

भारत के संदर्भ में तथ्यात्मक विश्लेषण:

- समग्र रूप से अल्पपोषण (Undernourishment) के संदर्भ में, भारत की 14% आबादी को पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलती है, हालाँकि इस संख्या में वर्ष 2005-07 की स्थिति (लगभग 20%) से सुधार हुआ है।

- बाल मृत्यु दर 3.7% है जिसमें वर्ष 2000 की तुलना (9.2%) में एक महत्त्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है।
- कई देश इन दो मापदंडों (अल्पपोषण एवं बाल मृत्यु दर) पर भारत से भी बदतर स्थिति में हैं।

GHI में भारत के खराब प्रदर्शन के लिये ज़िम्मेदार चाइल्ड 'स्टंटिंग' (Stunting) एवं 'वेस्टिंग' (Wasting):

- गौरतलब है कि भारत का खराब स्कोर लगभग पूरी तरह से चाइल्ड 'स्टंटिंग' (Stunting) एवं 'वेस्टिंग' (Wasting) के मापदंडों पर आधारित है।
- वर्ष 2000 में 54.2% भारतीय बच्चे 'स्टंटिंग' (Stunting) की श्रेणी में थे जबकि GHI-2020 म् लगभग 35% भारतीय बच्चे 'स्टंटिंग' (Stunting) श्रेणी में हैं, इस प्रकार यह आँकड़ा एक सकारात्मक परिणाम दर्शाता है। किंतु यदि वैश्विक नज़रिये से देखा जाये तो भारत अभी भी 'चाइल्ड स्टंटिंग' के संदर्भ में दुनिया में सबसे खराब स्थिति में है।
- इसके अलावा पाँच वर्ष से कम आयु के 17.3% भारतीय बच्चे 'वेस्टिंग' (Wasting) की श्रेणी में आते हैं जो भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा 'चाइल्ड वेस्टिंग' की श्रेणी में दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि पिछले दो दशकों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था जब यह आँकड़ा 17.1% था।

भारत में भुखमरी: एक मौसमी घटना

- देश के कई हिस्सों में भुखमरी एक मौसमी घटना है, जहाँ अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर परिवारों को फसल बुवाई एवं कटाई चक्र के आधार पर भुखमरी का सामना करना पड़ता है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के तीसरे एवं चौथे दौर के बीच मौसमी अंतर हैं अर्थात् चाइल्ड 'वेस्टिंग' के उच्च स्तर को चौथे दौर में देखा जा सकता है।
- हालाँकि, व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (वर्ष 2016-18) में भी चाइल्ड 'वेस्टिंग' दर 17.3% है।

भारत में उच्च स्तर के चाइल्ड 'स्टंटिंग' और 'वेस्टिंग' का मुख्य कारण:

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार दक्षिण एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों के मध्य चाइल्ड 'वेस्टिंग' के संदर्भ में एक दिलचस्प अंतर है।
  - अफ्रीकी बच्चे आमतौर पर जन्म के समय स्वस्थ होते हैं लेकिन जैसे-जैसे वे बड़े होते जाते हैं, वैसे-वैसे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी ओर दक्षिण एशियाई बच्चों में जन्म के पहले छह महीनों के भीतर चाइल्ड 'वेस्टिंग' के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यह मातृ स्वास्थ्य की खराब स्थिति को दर्शाता है।
    - गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के दौरान और फिर बच्चे को जन्म देने के बाद स्तनपान के दौरान माताएँ कम उम्र, दुबली-पतली और अल्पपोषण का शिकार होती हैं।
- जल्द शादी जैसे सामाजिक कारकों के कारण बहुत सी युवा महिलाएँ एवं उनके बच्चों का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होता है।
  - 15 से 19 वर्ष की आयु की लगभग 42% किशोर लड़कियों का बॉडी मास इंडेक्स (Body Mass Index- BMI) कम है जबकि 54% एनीमिया का शिकार हैं।
  - लगभग 27% लड़कियों की शादी 18 वर्ष की कानूनी उम्र तक पहुँचने से पहले ही हो जाती है और 8% किशोर अपनी किशोरावस्था में बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं।
  - लगभग 50% महिलाओं की किसी भी तरह के गर्भनिरोधकों तक पहुँच नहीं है।
  - मातृ स्वास्थ्य से संबंधित इन खराब संकेतकों के साथ-साथ बच्चे के स्वास्थ्य के लिये भी गंभीर परिणाम उत्पन्न होते हैं।
- कम स्वच्छता जो डायरिया के लिये उत्तरदायी है, 'चाइल्ड वेस्टिंग' और स्टंटिंग का एक और प्रमुख कारण है।
  - पिछले NFHS के अनुसार, लगभग 40% परिवार अभी भी खुले में शौच कर रहे थे।
  - केवल 36% परिवारों ने सुरक्षित तरीके से बच्चों के मल का निपटान किया।
  - पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में से दस में से एक बच्चा डायरिया से पीड़ित है।

विभिन्न भारतीय राज्यों की स्थिति:

- व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (National Nutrition Survey) राज्यों में व्यापक परिवर्तनशीलता को दर्शाता है।

नोट :

चाइल्ड वेस्टिंग के संदर्भ में:

- ◆ झारखंड में तीन में से लगभग एक बच्चा 29% वेस्टिंग दर के साथ तीव्र अल्पपोषण से ग्रस्त है। हालाँकि यह अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। अन्य बड़े राज्य जैसे- तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी पाँच में से एक बच्चा वेस्टिंग से ग्रस्त है।
- ◆ दिलचस्प बात यह है कि अन्य राज्य जैसे- बिहार, राजस्थान एवं ओडिशा जो आमतौर पर विकास सूचकांकों में खराब प्रदर्शन करते हैं वे राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण में राष्ट्रीय औसत से बेहतर करते हैं जहाँ चाइल्ड वेस्टिंग दर 13-14% है।
- ◆ कई उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ उत्तराखंड और पंजाब में चाइल्ड वेस्टिंग 10% से कम है।

- चाइल्ड स्टंटिंग के संदर्भ में
  - ◆ चाइल्ड स्टंटिंग के मामले में, बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन है जहाँ 42% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे हैं।
  - ◆ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी स्टंटिंग की दर 40% से कम है और ऐसा ही प्रदर्शन गुजरात का भी है।
  - ◆ वहीं जम्मू और कश्मीर में केवल 15% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं जबकि तमिलनाडु और केरल में यह आँकड़ा 20% के आसपास है।

समाधान:

- खाद्य असुरक्षा, कम स्वच्छता, अपर्याप्त आवास, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच जैसे कई मातृ स्वास्थ्य संबंधी संकट बच्चों में 'वेस्टिंग' एवं 'स्टंटिंग' के रूप में सामने आते हैं।
  - ◆ यद्यपि भारत में हाल के वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन के रिकॉर्ड स्तर के साथ समग्र खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है किंतु गरीब परिवार अभी भी खाद्यान्न की पहुँच से बाहर हैं।
- हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि चार में से तीन ग्रामीण, भारत सरकार के प्रमुख पोषण निकाय द्वारा निर्धारित सबसे सस्ते आहार को खरीद नहीं सकते हैं।
- पिछले पाँच वर्षों में, सभी के लिये शौचालय बनाने और खुले में शौच को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किये गए स्वच्छ भारत मिशन के बेहतर परिणाम आए हैं, जो NFHS के पाँचवें दौर में बेहतर मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित कर सकते हैं।
- एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम (Integrated Child Development Services Programme) का उद्देश्य छोटे बच्चों एवं माताओं को भोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण सेवाएँ प्रदान करना है।
- महिलाओं के लिये जीवन को कठिन बनाने वाले प्रत्येक प्रकार के घरेलू अभावों को निपटाया जाना चाहिये।
- कई जानकार मानते हैं कि देश में भूख और कुपोषण से निपटने के लिये विकास दर को बढ़ाने और देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिये अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों- कृषि, उद्योग और सेवा में ऊँचे लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- ध्यातव्य है कि गरीबी से निपटने और देश में कुपोषण की दर को कम करने के लिये सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देश में आज भी कृषि क्षेत्र काफी हद तक प्रकृति मुख्यत: बारिश पर निर्भर करता है।
  - ◆ हालाँकि वर्तमान में कृषि क्षेत्र भारत की कुल आय में मात्र 17% का योगदान देता है, परंतु कृषि पर देश की 50% से अधिक आबादी निर्भर करती है और इसी कारण इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
- नई स्वास्थ्य नीति के तहत सरकार ने अब स्वास्थ्य पर GDP का कुल 2.5 फीसदी खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि सराहनीय प्रयास है। गौरतलब है कि सरकार अब तक इस कार्य हेतु GDP का मात्र 1.04 प्रतिशत ही खर्च करती थी।
- नवीन पशुगणना में सामने आया है कि देश में दूध का उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है इसलिये बच्चों तक दूध और दुग्ध उत्पादों की उपयुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी भी आवश्यक है।

नोट :

निष्कर्ष:

- GHI-2020 में भारत के प्रदर्शन को देखते हुए मौजूदा कुपोषण स्थिति में सुधार की दिशा में किये जा रहे प्रयासों में महत्त्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2022 तक 'कुपोषण मुक्त भारत' के लिये एक कार्य योजना विकसित की है। वर्तमान रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस योजना में अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिये।
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि भोजन में पोषक तत्त्वों की कमी कुपोषण का सबसे प्रमुख कारण है किंतु समाज के एक बड़े हिस्से में इस संबंध में जागरूकता की कमी स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। आवश्यक है कि कुपोषण संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिये जल्द-से-जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएँ, ताकि देश के आर्थिक विकास में कुपोषण के कारण उत्पन्न बाधा को समाप्त किया जा सके।

दृष्टि The Vision

आर्थिक घटनाक्रम

चरणबद्ध विनिर्माण नीति

संदर्भ:

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत को एक प्रमुख मोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना (1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिये) के लिये मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में 16 फर्मों को मंज़ूरी दी। इनमें पाँच घरेलू तथा पाँच विदेशी मोबाइल फोन निर्माता और छह घटक निर्माता कंपनियाँ शामिल हैं। PLI, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) की तर्ज पर तैयार किया गया है जो वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 के लिये शुरू हुआ था।

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना: (production-linked incentive-PLI)

- इस योजना में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और मोबाइल फोन के विनिर्माण तथा संयोजन , परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग सहित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के क्षेत्र में व्यापक निवेश आकर्षित किया जा सके।
- इस योजना के तहत भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (Incremental Sales) पर पात्र कंपनियों को आधार वर्ष के बाद के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 4 से 6 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- प्रस्तावित योजना से मोबाइल फोन के विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को काफी लाभ प्राप्त होगा जिससे देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन संभव हो सकेगा।
- सरकार ने इस योजना पर लगभग 41000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है।
- यह भारत में निर्माण के लिये वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि एप्पल, सैमसंग, ओप्पो आदि को आकर्षित करेगा। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देगी तथा मेक इन इंडिया के साथ एकीकृत होने के लिये इन कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी ।

चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) के बारे में:

- PLI चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) का अनुसरण करता है जिसे वर्ष 2016-17 में शुरू किया गया था।
- इस चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य देश के भीतर मूल्य संवर्द्धन और क्षमता निर्माण में तीव्र वृद्धि करना है।
- PMP का लक्ष्य भारत में "मज़बूत स्वदेशी मोबाइल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र" की स्थापना के लिये अग्रणी मोबाइल फोन के निर्माण में स्थानीय रूप से खरीदे गए घटकों की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।
- यह इन सामान या घटकों के आयात पर मूल सीमा शुल्क को बढ़ाकर किया गया था। PMP को देश में मूल्यवर्द्धन में सुधार के उद्देश्य से लागू किया गया था।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली बैटरी के आयात शुल्क में बढ़ोतरी करते हुए अप्रैल 2021 के बाद 5 से 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
- केंद्र सरकार FAME-II जैसी योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर अंगीकरण को भी बढ़ावा दे रही है।
- PMP ने शुरू में कम मूल्य के सामान के निर्माण को प्रोत्साहित किया, और फिर उच्च मूल्य के घटकों के निर्माण को प्रोत्साहित किया।

भारत में मोबाइल निर्यात और आयात की स्थिति:

- आँकड़े बताते हैं कि भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में चीन का कुल 45 प्रतिशत हिस्सा है।
- इनमें से कई उत्पाद भारतीय निर्माताओं द्वारा तैयार माल के उत्पादन में उपयोग किये जाते हैं, इस प्रकार चीन भारत की विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला में पूरी तरह से एकीकृत है।

नोट :

- उदाहरण के लिये, भारत में बनने वाले कुछ मोबाइल फोन के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं, जिन्हें लगभग 90 प्रतिशत चीन से आयात किया जाता है।

- हाल ही में, इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के लिये अर्नस्ट एंड यंग द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि अगर मोबाइल फोन के उत्पादन की लागत 100 (बिना सब्सिडी के) मानी जाए तो मोबाइल फोन के निर्माण में प्रभावी लागत (सब्सिडी और अन्य लाभों के साथ) चीन में 79.55, वियतनाम में 89.05 और भारत में (PLI सहित), 92.51 है।
- इससे पता चलता है कि PLI नीति के तहत प्रोत्साहन एक परिवर्तनकारी कदम नहीं हो सकता है और यह मोबाइल विनिर्माण के एक बड़े हिस्से को चीन से भारत में स्थानांतरित करने में भी सफल नहीं हो पाएगा।
- यह भी उपयोगी है कि वर्ष 2005 के आसपास होने वाले मोबाइल फोन से संबंधित उद्योगों में होने वाले निवेश ने अपेक्षाकृत स्थानीय और कम मूल्य के निर्यात बाज़ारों को लक्षित किया, जो किसी प्रांत में आश्रयी मोबाइल निर्माताओं द्वारा भी अनुसरित किया जा रहा है।
- आँकड़े बताते हैं कि यद्यपि भारत का मोबाइल निर्यात वर्ष 2018-19 में 1.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में $ 3.8 बिलियन हो गया, किंतु प्रति यूनिट मूल्य क्रमशः 91.1 डॉलर से घटकर 87 डॉलर हो गया।
- इस प्रकार, हमारी निर्यात प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि मोबाइलों के बिक्री मूल्य में कमी द्वारा होती है।
- यह स्पष्ट है कि PLI नीति मोबाइल फोन के क्षेत्र में हमारी मौजूदा निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को मज़बूत नहीं करती है और उच्च औसत बिक्री मूल्य वाले बाज़ारों से कम मात्रा में हैं।

भारत में आयात में वृद्धि और पीएमपी नीति में सीमा:

- Apple, Xiaomi, Oppo और OnePlus जैसी फर्मों ने भारत में निवेश किया है, लेकिन ज्यादातर ने अपने अनुबंध निर्माताओं के माध्यम से निवेश किया है।
- परिणामस्वरूप, उत्पादन 2016-17 में $ 13.4 बिलियन से बढ़कर 2019-20 में $ 31.7 बिलियन हो गया।
- हालाँकि, उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के फैक्ट्री-स्तर के उत्पादन के आँकड़ों का विश्लेषण बताता है कि वर्ष 2017-18 में सर्वेक्षण की गई फर्मों के लिये मूल्यवर्द्धन (दो आउटलेयर को छोड़कर) 1.6% से 17.4% तक था, जिनमें से अधिकांश कंपनियां 10% से नीचे थीं।
- जिन फर्मों का सर्वेक्षण किया गया था उनमें से अधिकांश में 85% से अधिक निवेशित वस्तुएँ आयात की गई थीं।
- भारत, चीन, वियतनाम, कोरिया और सिंगापुर (2017-2019) के लिये संयुक्त राष्ट्र के आँकडों से पता चलता है कि भारत को छोड़कर सभी देशों ने आयात की तुलना में अधिक मोबाइल के भागों का निर्यात किया, जो उन सुविधाओं की उपस्थिति को इंगित करता है जो इन भागों के निर्यात करने से पहले इनमें मूल्यवर्द्धन करते हैं।
- वर्ष 2019 में उसके मोबाइल के पुर्जों का आयात, निर्यात का 25 गुना था।
- इसलिये, जबकि PMP नीति ने घरेलू उत्पादन के मूल्य में वृद्धि की, स्थानीय मूल्यवर्द्धन में भी सुधार देखा गया है।

भारत की PMP नीति और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में टैरिफ का मुद्दा:

- सितंबर 2019 में, चीनी ताइपे ने PMP के तहत शुल्कों में वृद्धि का विरोध किया।
- यदि PMP को WTO द्वारा गैर-अनुपालन योग्य पाया जाता है, तो हमारे देश में मोबाइल फोन के आयात की बाढ़ आ सकती है जो मोबाइल फोन के स्थानीय संयोजन को अनाकर्षक बना सकता है।
- यह PMP के तहत किये गए मोबाइल निवेश के संचालन को भी प्रभावित कर सकता है।
- बीते वर्ष मई माह में, जापान और ताइवान ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत के विरुद्ध कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लगाए गए आयात शुल्क को लेकर एक मामला दर्ज कराया था और परामर्श (Consultations) की मांग की थी।
  - इन देशों द्वारा जिन उत्पादों के संबंध में मामला दर्ज किया गया था, उनमें टेलीफोन; ट्रांसमिशन मशीनें और टेलीफोन आदि के कुछ कलपुर्जे शामिल हैं।
- इन देशों ने आरोप लगाया है कि भारत द्वारा इन उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने से विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों का उल्लंघन होता है क्योंकि भारत ने इन उत्पादों पर शून्य प्रतिशत बाध्य शुल्क (Bound Tariffs) की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

नोट :

- बाध्य शुल्क (Bound Tariffs) का अभिप्राय उस अधिकतम शुल्क सीमा से होता है, जिससे अधिक आयात शुल्क विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्यों द्वारा नहीं लगाया जा सकता है।

भारत में आयात में वृद्धि से संबंधित समस्याएँ :

ग्लोबल वैल्यू चेन (GVC) में भागीदारी का निम्न स्तर: पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख निर्यातक देशों की तुलना में GVC में भारत की भागीदारी कम रही है।

- इसके विपरीत, चीन से पूंजी गहन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि मुख्य रूप से GVC में इसकी भागीदारी से प्रेरित है।
- 1990 के दशक के बाद से चीन की निर्यात प्रोत्साहन नीतियों ने GVC के भीतर अपने घरेलू उद्योगों को एकीकृत करने की रणनीति पर बहुत अधिक कार्य किया है।
- GVC में कम भागीदारी के कारण भारत के निर्यात की भौगोलिक दिशा में अनुपातहीन बदलाव हुआ है, जो पारंपरिक रूप से समृद्ध देश के बाजारों से अफ्रीकी देशों में स्थानांतरित हो गया है।

चीन से मोबाइल उद्योग के स्थानांतरण की संभावना नहीं है:

भारतीय बाज़ार पर हावी होने वाली चीनी कंपनियाँ PLI नीति का हिस्सा नहीं है।

- इस प्रकार, उनका क्षमता विस्तार, यदि कोई हो, इसके अतिरिक्त होगा। भारत ने वर्ष 2018-19 के लिये लगभग 29 करोड़ यूनिट मोबाइल फोन का उत्पादन किया; इनमें से 94% घरेलू बाज़ार में बेचे गए, शेष निर्यात किये गए।

भारत द्वारा स्थिति में सुधार हेतु किये गए अन्य प्रयास

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टरों को प्रोत्साहन देने से संबंधित योजना को मंज़ूरी दी गई है।

- इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टरों के माध्यम से विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ-साथ साझा सुविधाओं को विकसित करना है।
- इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में न्यूनतम 200 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स और पहाड़ियों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में न्यूनतम 100 एकड़ में फैले हुए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स को 70 करोड़ रुपए प्रति 100 एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा इस योजना में साझा सुविधा केंद्र (Common Facility Centre) के लिये उनकी परियोजना लागत का 75 प्रतिशत तक वित्त पोषण करने का प्रावधान है, जो कि 75 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा।
- इस योजना का कुल परिव्यय 8 वर्ष की अवधि के दौरान 3762.25 करोड़ रुपए है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्द्धन योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला का गठन करने वाली वस्तुओं के विनिर्माण हेतु पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

- इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों की घरेलू विनिर्माण के लिये अक्षमता को दूर करने के अलावा देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी को मज़बूत बनाने में भी मदद मिलेगी।
- इस योजना की कुल लागत लगभग 3,285 करोड़ रुपए है।

निष्कर्ष :

- वर्ष 2016-17 से PMP नीति, उद्योग में घरेलू मूल्यसंवर्द्धन को बढ़ाने में मददगार रही है, हालाँकि उत्पादन के मूल्य में काफी विस्तार हुआ है।
- चूँकि टैरिफ सुरक्षा के डब्ल्यूटीओ के नियमों से विरोध की स्थिति में हो सकते हैं, इसलिये नए PLI का लक्ष्य घरेलू उत्पादन की वृद्धि पर है, न कि मूल्यवर्द्धन पर।
- PLI नीति ने घरेलू विनिर्माण शुरू करने के लिये छह घटक निर्माताओं को अलग से लाइसेंस दिया है। लेकिन यह सफल नहीं हो सकता है क्योंकि संयोजक और घटक निर्माता एक साथ चलते हैं।
- इस दिशा में पहला कदम PLI नीति के तहत चुनी गई विदेशी कंपनियों को देश में अपनी आपूर्ति पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करना हो सकता है।

नोट :

- नई PLI नीति, वृद्धिशील निवेश और निर्मित वस्तुओं की बिक्री की सीमा के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती है; यह सीमा विदेशी और घरेलू मोबाइल फर्मों के लिये अलग-अलग हैं।
- इस प्रकार, घरेलू उत्पादन के बढ़ते मूल्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, न कि स्थानीय मूल्य संवर्द्धन पर।

आगे की राह: इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के लगातार बढ़ते हुए आयात के चलते भारत व्यापार घाटे की स्थिति में जा रहा है और चालू खाता घाटे में भी लगातार वृद्धि हो रही है। चूँकि मोबाइल फोन की मांग लगातार बढ़ रही है अत: सरकार को ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो भारत में ही उच्च गुणवत्ता के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहन दें ताकि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिले और भारत का बाज़ार चीन जैसे देशों के प्रभाव में न रहे।

बाजरा: सुपरफूड

संदर्भ:

बाजरे (Millets) को अक्सर एक सुपरफूड (पोषण तत्त्वों से भरपूर अनाज) के रूप में देखा जाता है तथा इसका उत्पादन टिकाऊ कृषि एवं विश्व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बाजरे से जुड़े बहुआयामी लाभ तथा मुद्दे, पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा प्रणाली एवं किसानों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को संदर्भित करते हैं।

इसके अलावा बाजरे से जुड़ी कई अनूठी विशेषताएँ हैं जो भारत की विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हैं और इसे एक प्रमुख फसल के रूप में संदर्भित करती हैं। इन सब कारकों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2018 को पहले ही बाजरे के राष्ट्रीय वर्ष (National Year of Millets) के रूप में घोषित किया जा चुका है तथा साथ ही भारत द्वारा वर्ष 2023 को 'बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' (International Year of Millets) के रूप में घोषित करने का आह्वान किया गया है।

हालाँकि एक सुपरफूड के रूप में इसके महत्त्व को स्वीकार करने के बावजूद इसके प्रति एक आम धारणा बनी हुई है कि बाजरे को 'गरीब व्यक्ति के भोजन' (Poor Person's Food) के रूप में देखा जाता है। इसलिये मोटे अनाज एवं बाजरे जैसे पोषक तत्त्वों से भरपूर अनाजों को पुन: बढ़ावा देने के साथ उनके उत्पादन एवं खपत पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत में बाजरे का उत्पादन:

- वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली तीन प्रमुख बाजरा फसलों (Millet Crops) में ज्वार (Sorghum), बाजरा (Pearl Millet) और रागी (Finger Millet) शामिल हैं।
  - इसके साथ ही भारत में जैव-आनुवंशिक तौर पर विविध और देशज किस्मों के रूप में छोटे बाजरे की विभिन्न किस्मों जैसे- कोदो (Kodo), कुटकी (Kutki), चेन्ना (Chenna) और सानवा (Sanwa) को प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है।
- भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्यों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा शामिल हैं।

बाजरे की उपज को बढ़ावा देने की आवश्यकता:

- क्लाइमेट रेज़िलिएंट क्रॉप: बाजरे की फसल प्रतिकूल जलवायु, कीटों एवं बीमारियों के लिये अधिक प्रतिरोधी है, अत: यह बदलते वैश्विक जलवायु परिवर्तनों में भुखमरी से निपटने हेतु एक स्थायी खाद्य स्रोत साबित हो सकती है।
  - इसके अलावा इस फसल की सिंचाई के लिये अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है जिस कारण यह जलवायु परिवर्तन एवं लचीली कृषि-खाद्य प्रणालियों के निर्माण के लिये एक स्थायी रणनीति बनाने में सहायक है।
- पोषण सुरक्षा: बाजरे में आहार युक्त फाइबर (Dietary Fibre) भरपूर मात्रा में विद्यमान होता है, इस पोषक अनाज (बाजरे) में लोहा, फोलेट (Folate), कैल्शियम, ज़स्ता, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तांबा, विटामिन एवं एंटीऑक्सिडेंट सहित अन्य कई पोषक तत्त्व प्रचुर मात्रा में होते हैं।
  - ये पोषक तत्त्व न केवल बच्चों के स्वस्थ विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, बल्कि वयस्कों में हृदय रोग और मधुमेह के जोखिम को कम करने में भी सहायक होते हैं।

- ग्लूटेन फ्री (Gluten Free) एवं ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Glycemic Index) की कमी से युक्त बाजरा डायबिटिक/मधुमेह के पीड़ित व्यक्तियों के लिये एक उचित खाद्य पदार्थ है, साथ ही यह हृदय संबंधी बीमारियों और पोषण संबंधी दिमागी बीमारियों से निपटने में मदद कर सकता है।
- आर्थिक सुरक्षा: बाजरे को सूखे, कम उपजाऊ, पहाड़ी, आदिवासी और वर्षा आश्रित क्षेत्रों में उगाया जा सकता है।
  - इसके अलावा बाजरा मिट्टी की पोषकता के लिये भी अच्छा होता है तथा इसकी फसल तैयार होने में लगने वाली समयावधि एवं फसल लागत दोनों ही कम हैं।
  - इन विशेषताओं के साथ बाजरे के उत्पादन के लिये कम निवेश की आवश्यकता होती है और इस प्रकार यह किसानों के लिये एक स्थायी आय स्रोत साबित हो सकता है।

बाजरे का नियंत्रित उत्पादन:

- हरित क्रांति: हरित क्रांति के समय खाद्य सुरक्षा के लिये गेहूँ और चावल जैसी अधिक उपज वाली किस्मों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - इस नीति का एक अनपेक्षित परिणाम यह सामने आया कि बाजरे के उत्पादन में धीरे-धीरे गिरावट आने लगी।
  - इसके अलावा गेहूँ और चावल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से प्रदान की जाने वाली लागत प्रोत्साहन राशि ने भी बाजरे के उत्पादन को हतोत्साहित किया।
- प्रसंस्कृत खाद्य की मांग में वृद्धि: इन सब के साथ-साथ भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और रेडी-टू-ईट उत्पादों के लिये उपभोक्ता मांग में उछाल देखा गया जिनमें सोडियम, चीनी, ट्रांस-वसा और यहाँ तक कि कुछ कार्सिनोजन (Carcinogens- कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्त्व) की उच्च मात्रा विद्यमान होती हैं।
  - प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के गहन विपणन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे- प्रसंस्कृत चावल व गेहूँ की मांग में भी वृद्धि होती जा रही है।
- दोहरा दवाब: माताओं एवं बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी के साथ-साथ मधुमेह एवं मोटापे जैसी बीमारियाँ उत्पन्न होने के कारण एक प्रकार का दोहरा दवाब उत्पन्न हो गया है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price-MSP) में वृद्धि: भारत सरकार द्वारा बाजरे के MSP में बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसान बाजरा उत्पादन के लिये प्रोत्साहित होंगे।
  - इसके अलावा बाजरे की उपज के लिये एक स्थिर बाज़ार प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरे को भी शामिल किया गया है।
- इनपुट सहायता (Input Support): बाजरे के उत्पादन के लिये भारत सरकार द्वारा किसानों को बीज किट (Seed Kits) और इनपुट सहायता के रूप में किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisations) के माध्यम से मूल्य श्रृंखला का निर्माण और बाजरे के लिये बाज़ार क्षमता को विकसित करने में मदद की जा रही है।
- एकीकृत दृष्टिकोण: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कृषि और पोषण के एकीकृत दृष्टिकोण पर कार्य किया जा रहा है जिसके तहत पोषक तत्त्व-उद्यानों (Nutri-gardens) की स्थापना करके फसल विविधता और आहार विविधता के बीच अंतर संबद्धता पर शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा पोषक तत्त्वों से युक्त अनाज के प्रति उपभोक्ता मांग में वृद्धि के लिये लोगों के दृष्टिकोण/व्यवहार को परिवर्तित करने से संबंधित एक अभियान का संचालन किया जा रहा है।

आगे की राह:

- पूर्व धारणा में बदलाव: बाजरे से संबंधित खपत एवं इसके व्यापार को लेकर जुड़ी सामान्य अवधारणा को परिवर्तित करने के साथ-साथ पोषक तत्त्वों से भरपूर अनाज के रूप में बाजरे को पुन: एक ब्रांड के तौर पर प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।
  - इसके अलावा नागरिक समाज (Civil Society) पोषक युक्त खाद्य पदार्थों को चुनने की दिशा में छोटे-छोटे अभियानों के माध्यम से जन-कल्याण की शुरुआत कर सकते हैं, जो पर्यावरण के लिये हितकर होने के साथ ही राष्ट्र के किसानों की आर्थिक समृद्धि में भी सहायक हो सकते हैं।

- गेहूँ और चावल की तर्ज पर बाजरे के लिये MSP: बाजरे के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार गेहूँ और चावल की तर्ज पर बाजरे की फसल के लिये भी पायलट आधार पर MSP प्रदान करने का प्रयास कर सकती है।
- मिशन मोड पहल: भारत सरकार किसानों को भारत के 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों (Agro-Climatic Zones) के लिये उनके स्थानीय फसल पैटर्न को संरेखित करने हेतु प्रोत्साहित कर सकती है और स्थानीय स्थलाकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बाजरे की खेती को बढ़ावा दे सकती है।
- अंतर-मंत्रालयी दृष्टिकोण: बाजरे को पुन: एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिये एक बहु-मंत्रालयी नीति ढाँचे (Multi-ministerial Policy Framework) के निर्माण की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना हो, साथ ही आत्मनिर्भर भारत और सतत् विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इसका वैश्विक स्तर पर आह्वान किया जाए।

निष्कर्ष:

- जैसा कि भारत सरकार कुपोषण मुक्त भारत और किसानों की आय दोगुना करने के लिये अपने एजेंडे को प्राप्त करने के लिये प्रयासरत है, वहीं पोषक तत्त्वों से युक्त अनाजों (बाजरे) के उत्पादन एवं खपत को बढ़ावा देना सही दिशा में एक नीतिगत बदलाव होगा।

जीएसटी और राजनीतिक वार्ताओं की जटिलता

संदर्भ:

'हितों की विविधता' (Diversity of Interests) संघवाद का प्रतीक है। पिछले कुछ महीनों में, वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के मध्य एक प्रकार का गतिरोध देखा गया है जिसके परिणामस्वरूप केंद्र-राज्य संबंधों में गिरावट आई है। हालाँकि केंद्र और राज्यों के बीच यह गतिरोध असामान्य नहीं है तथा सभी संघीय व्यवस्थाओं में किसी न किसी प्रकार का गतिरोध होता रहता है।

वस्तु एवं सेवा कर: महत्त्वपूर्ण राजकोषीय सुधार

- आज़ादी के बाद के सबसे महत्त्वपूर्ण राजकोषीय सुधार के तहत कई केंद्रीय एवं राज्य करों को 'जीएसटी' के रूप में सम्मिलित करके एकल कर में परिवर्तित कर दिया गया।
    - जीएसटी के अंतर्गत, जहाँ एक ओर केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल किये गए तो वहीं दूसरी ओर राज्यों में लगाए जाने वाले मूल्यवर्द्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी सम्मिलित किये गए हैं।
- ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाज़ार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है।
- GST से संबंधित संवैधानिक संशोधन ने केंद्र-राज्य संबंधों का कायापलट कर दिया जिसमें राज्यों ने कर लगाने के लिये अपनी सभी शक्तियाँ छोड़ दीं। जिसके बदले में जीएसटी के कारण होने वाले सभी नुकसानों के लिये केंद्र ने राज्यों को पाँच वर्ष के लिये पूर्ण मुआवज़े का आश्वासन दिया।
    - GST अधिनियम के अनुसार, वर्ष 2022 यानी GST कार्यान्वयन शुरू होने के बाद पहले पाँच वर्षों तक GST कर संग्रह में 14% से कम वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) दर्शाने वाले राज्यों के लिये क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई है। केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक दो महीने में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। क्षतिपूर्ति उपकर, ऐसा उपकर है जिसे 1 जुलाई, 2022 तक चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर संग्रहीत किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार राज्यों को वितरित करती है।

GST परिषद:

- यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिये एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
- 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A(1) में GST परिषद का प्रावधान किया गया है।

- इसे एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है जहाँ केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इसके सदस्यों के रूप में सभी 28 राज्यों एवं तीन संघ शासित क्षेत्रों (दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर) के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री अर्थात् कुल मिलाकर 31 सदस्य होते हैं।

आर्थिक सुस्ती और COVID-19 महामारी:

- आर्थिक सुस्ती और COVID-19 महामारी के कारण इस वर्ष संघीय सौदेबाजी (केंद्र-राज्यों के मध्य मुआवजे को लेकर वार्ताएँ) के गंभीर परिणाम देखने को मिले हैं। इसका मुख्य कारण है कि कर संग्रहण में गिरावट होने से राजस्व में भारी कमी आई है।
  - साथ ही क्षतिपूर्ति निधि में उपलब्ध संसाधनों को भी घटा दिया गया। जगह-जगह पर राजस्व जुटाने की सीमित क्षमताओं के साथ केंद्र ने कड़ा रुख अपना रखा है।
  - ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र GST समझौते के तहत किये गए कुछ प्रावधानों को परिवर्तित करना चाहता है जो उसके प्रतिकूल हैं। परिणामत: संघीय ढाँचे में तनाव उत्पन्न हो रहा है।

GST मुआवजा एवं गतिरोध:

- GST लागू होने के बाद अधिकांश करों के रूप में राज्यों के पास बहुत सीमित कर अधिकार हैं।
- सर्वप्रथम GST से पिछली कर व्यवस्था के समान अधिक राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान व्यक्त किया गया था। हालाँकि नई कर व्यवस्था में उपभोग पर कर लगाया जाता है न कि विनिर्माण पर।
- इसका अर्थ यह है कि उत्पादन के स्थान पर कर नहीं लगाया जाएगा, जिसका अर्थ यह भी है कि विनिर्माण क्षेत्र कर संग्रहण से वंचित रह जाएंगे, यही कारण है कि कई राज्यों ने GST के विचार का कड़ा विरोध किया।
- GST परिषद की 41वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र राज्यों को मुआवजा नहीं दे सकेगा। केंद्र सरकार इस बात पर विशेष बल दे रही है कि इस वर्ष COVID-19 महामारी के कारण GST संग्रहण में तेज़ी से कमी आई है।
- इस वर्ष GST मुआवज़े के लिये अनुमानत: लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जबकि उपकर संग्रह लगभग 65,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस प्रकार 2.35 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित मुआवज़े की कमी है।
- केंद्र सरकार का तर्क: राज्यों को इस स्थिति के उपाय के तौर पर दो विकल्प दिये गए हैं और दोनों में बाज़ार से उधार लेने की आवश्यकता है। केंद्र का तर्क है कि GST के कार्यान्वयन में केवल 97,000 करोड़ रुपए के राजस्व की कमी है, जबकि 1.38 लाख करोड़ रुपए का नुकसान 'एक्ट ऑफ गॉड' (COVID-19 महामारी) द्वारा उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण हुआ है। राज्य या तो 97,000 करोड़ रुपए का उधार ले सकते हैं, इसे अपने ऋण और मूलधन और भविष्य में उपकर संग्रह से ब्याज के भुगतान को जोड़े बिना ऐसा किया जा सकता है या पूर्ण 2.35 लाख करोड़ रुपए उधार ले सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में उन्हें ब्याज का भुगतान स्वयं करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने तर्क दिया है कि केंद्र द्वारा अधिक उधार लेने से ब्याज दरों में वृद्धि होगी और भारत के राजकोषीय मापदंडों को पूरा किया जा सकेगा।

'एक्ट ऑफ गॉड:'

- 'एक्ट ऑफ गॉड' (Act of God) या 'प्राकृतिक आपदा' (Force Majeure) से संबंधित प्रावधानों को नेपोलियन कोड (Napoleonic Code) से लिया गया है।
- 'एक्ट ऑफ गॉड' प्रावधानों को अधिकांशत: वाणिज्यिक अनुबंधों में शामिल किया जाता है तथा यह संकटकालीन परिस्थिति से निपटने के लिये सावधानीपूर्वक तैयार की गई कानूनी व्यवस्था है।
- सामान्यत:, 'एक्ट ऑफ गॉड' के तहत केवल प्राकृतिक अप्रत्याशित परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि 'प्राकृतिक आपदा' (force majeure) का दायरा काफी विस्तृत होता है, और इसमें प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाओं तथा
- मानव-जनित घटनाओं को भी सम्मिलित किया जाता है।
- इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों को सम्मिलित करते हुए 'प्राकृतिक आपदा' प्रावधान पर आदर्श संहिता विकसित की है।
- इस कोड में कहा गया है कि 'प्राकृतिक आपदा' प्रावधान को लागू करने के लिये, परिस्थितियों को याचिकाकर्त्ता के उचित नियंत्रण से बाहर होना चाहिये तथा अनुबंध की शुरुआत के समय इन परिस्थितियों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता हो।

- राज्यों की चिंताएँ: केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और दिल्ली जैसे पाँच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति गंभीर दबाव में है, जिसके परिणामस्वरूप वेतन-भुगतान में देरी और महामारी के कारण लॉकडाउन के बीच पूंजीगत व्यय में भारी कटौती हुई है। इन परिस्थितियों के मद्देनज़र कई राज्यों ने दोनों विकल्पों को खारिज कर दिया है और केंद्र से पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
    - बाज़ार से उधार लेने जैसे केंद्र के प्रस्ताव पर वे राज्य जहाँ विशेष रूप से विभिन्न दलों की सरकार हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे। एक राज्य ने इस मुद्दे पर न्यायालय जाने की धमकी तक दी और साथ ही सहकारी संघवाद के केंद्र के दावे के खोखलेपन को भी उजागर किया।
- विश्लेषक मानते हैं कि जीएसटी परिषद की कई बैठकों में केंद्र ने अविश्वास को कम करने और गतिरोध को समाप्त करने में कोई मदद नहीं की बल्कि इसे बढ़ावा ही दिया है।
    - उदाहरण के लिये केरल के वित्त मंत्री ने शिकायत की कि GST परिषद में महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं लिये जाते हैं किंतु बाद में प्रेस की बैठकों में उनके बारे में घोषणा की जाती है।

सहकारी संघवाद बनाम राजनीतिक पार्टी गठजोड़:

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि राजनीतिक पार्टियों की प्रणाली एवं प्रकृति केंद्र-राज्य संबंधों का निर्धारण करती है।

A.भारतीय राजनीति में एकदलीय प्रभुत्व का दौर और केंद्र-राज्य संबंध:

- भारतीय राजनीति में कॉन्ग्रेस के प्रभुत्त्व के दौरान राज्यों के पास ऐसे कुछ मुद्दे थे जिसके तहत आर्थिक प्रबंधन (Economic Management) को विकास के नाम पर केंद्रीकृत किया गया था। उनकी चिंताओं एवं शिकायतों (यदि कोई हो) को 'इंट्रा-पार्टी चैनलों' के माध्यम से निपटाया जाता था।
    - राज्य स्तर के बजाय केंद्र स्तर पर 'पावर ऑफ सेंटर' होने के कारण किसी भी मुद्दे पर कॉन्ग्रेस शासित राज्य केंद्र सरकार के साथ खड़े दिखाई देते थे।
    - किंतु जब भारतीय राजनीति में गैर-कॉन्ग्रेसी दलों की स्थिति मज़बूत हुई तब केंद्रीकरण के खिलाफ असंतोष प्रकट होने लगा।
- राजनीतिक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वियों को नियंत्रित करने के लिये कॉन्ग्रेस द्वारा सभी संभावित साधनों जैसे- अनुच्छेद 356 (राज्यपाल की भूमिका), विवेकाधीन केंद्रीय अनुदान का उपयोग एवं दुरुपयोग किया गया।

B. भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर और केंद्र-राज्य संबंध:

- भारतीय राजनीति में एकदलीय प्रभुत्वशाली दौर के विपरीत, गठबंधन युग ने पारस्परिक हितों की मान्यता के आधार पर केंद्र-राज्य संबंधों में अपेक्षाकृत अधिक सौहार्दपूर्ण दौर की शुरुआत हुई।
    - संघीय गठबंधन में, राज्यों और उनके हितों को इसलिये प्रमुखता दी गई थी जिससे उनको यह महसूस हो सके कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रतिनिधित्त्व किया जा रहा है।
    - विडंबना यह है कि इस अवधि के दौरान जब राज्य-आधारित या क्षेत्र आधारित पार्टियों का विस्तार होने लगा तब बहुत से अधिकारों का प्रवासन होना शुरू हो गया।
        - इस दौर में निर्णय प्रक्रिया ने राज्यों को सुधारों का स्वामित्व एवं विश्वास दोनों प्रदान किया और नए संस्थानों को जगह दी।
        - राज्य-आधारित दलों ने शायद यह मान लिया था कि वे नए संस्थानों के माध्यम से या गठबंधन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते रहेंगे।
        - इस प्रकार यदि केंद्र द्वारा उनके हितों का ध्यान रखा जाता है तो केंद्र की तरफ अधिकारों के प्रवासन से राज्य आधारित पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता।
    - विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक पार्टी गठजोड़ राज्य स्तर के नेताओं को अधिक प्रमुखता देते हैं। एक विनम्र-विस्तृत अनुशासित पार्टी में, केंद्र सरकार की मांगों पर खरा उतरने से राज्य स्तर के नेताओं के कैरियर की संभावनाएँ सुरक्षित हो सकती हैं।

- इसी तरह राज्य आधारित पार्टियों के लिये संघीय गठबंधन के माध्यम से संसाधनों तक पहुँच और राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना है।

''दल आधारित केंद्रीकरण की डिग्री जितनी अधिक होगी, संघीय केंद्रीकरण की संभावना उतनी ही अधिक होगी।''

- सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच राजनीतिक पार्टी संबंध/गठजोड़ संघीय समझौतों के निर्माण एवं रखरखाव दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष:

- केंद्र और राज्यों के मध्य जीएसटी समझौता राजनीतिक वार्ताओं की जटिलता को भी दर्शाता है। अत: COVID-19 और आर्थिक सुस्ती के मद्देनज़र यह लगभग असंभव है कि वर्ष 2020 के अंत तक इसका कोई संतुलित समाधान निकल सके।
- वर्तमान में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अपनी चिंताएँ एक वैध ढाँचे के तहत प्रस्तुत कर रहे हैं जबकि केंद्र की कार्रवाई संघीय व्यवस्था को कमज़ोर करती है। यदि यह समय के साथ लगातार होता रहा तो राज्यों के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिससे इसे रोका जा सके।

दृष्टि The Vision

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

बहुपक्षवाद: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Program- WFP) को वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि WFP को यह सम्मान ऐसे समय में प्राप्त हुआ है जब वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिये साझा सहयोग में भारी कमी देखी गई है। COVID-19 महामारी के कारण देशों की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट के साथ वैश्विक स्तर पर गरीबी और भुखमरी के मामलों में भारी वृद्धि का अनुमान है। COVID-19 महामारी के दौरान जब वैश्विक सहयोग की आवश्यकता सबसे अधिक है तब भी वर्तमान में साझा सहयोग के बजाय विश्व के कई देशों द्वारा समानांतर और प्रतिस्पर्द्धी प्रयासों के रूप में भारी मतभेद देखने को मिले हैं। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर देशों के बीच सहयोग की कमी और संरक्षणवादी विचारधारा में वृद्धि के बाद संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर प्रश्न उठने लगे हैं।

COVID-19 और खाद्य संकट:

- COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर गरीबी और भुखमरी के फैलने का संकट उत्पन्न हो गया है।
- WFP के अनुसार, इस महामारी के कारण दुनिया में कुपोषण से पीड़ित लोगों के मामलों में 135 मिलियन तक की वृद्धि देखी जा सकती है।
- इस महामारी के कारण वर्तमान में वैश्विक स्तर पर भोजन की उपलब्धता के संकट से जूझ रहे 690 लोगों में लगभग 100 मिलियन की वृद्धि हो सकती है।
- वर्तमान में यदि इस संकट के दौरान विश्व के सभी देश एकजुट नहीं होते हैं तो यह एक बड़ी आपदा का रूप ले सकता है।

नोबेल शांति पुरस्कार-2020 और इसका महत्त्व :

- 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' (WFP) को यह सम्मान विकासशील देशों में भूख और कुपोषण का मुकाबला करने में इसकी भूमिका के लिये प्रदान किया गया है।
- वर्ष 1961 में इसकी स्थापना के बाद से वैश्विक स्तर पर भुखमरी की समस्या से लड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में WFP ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- हालाँकि इसके अथक प्रयासों के बावजूद भी वैश्विक खाद्य संकट से निपटने में WFP की उपलब्धियाँ बहुत सामान्य ही रहीं है।
- इसका सबसे बड़ा कारण WFP के प्रयासों में वैश्विक सहयोग और वित्त पोषण की भारी कमी रही है।
- WEP को वर्ष 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और बहुपक्षवाद को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

बहुपक्षवाद के मार्ग में बाधाएँ :

- संरक्षणवाद:
  - वर्ष 2007-08 की आर्थिक मंदी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच संरक्षणवाद की विचारधारा में वृद्धि देखने को मिली, जो इस मंदी के बाद भी किसी न किसी रूप में जारी रही। COVID-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह संरक्षणवाद पुन: प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है।

- द्विपक्षीय तनाव:
  - वर्तमान में कई वैश्विक संस्थान सदस्य देशों के बीच प्रतिवाद का केंद्र बन गए हैं।
  - उदाहरण के लिये- शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के तनाव के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) में भारी गतिरोध देखने को मिला तथा वर्तमान में अमेरिका और चीन का तनाव वैश्विक संगठनों के लिये एक नई चुनौती बन गया है।
- व्यावसायिक दृष्टिकोण:
  - अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग के प्रति उत्साह की बजाय इसे एक मज़बूरी के रूप में देखा जाता है।
  - ज़्यादातर देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कम-से-कम योगदान देकर अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यह दृष्टिकोण व्यापार और रक्षा सौदों के लिये उपयुक्त हो सकता है परंतु वैश्विक जलवायु संकट या वर्तमान महामारी के लिये नहीं।
    - 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' (WFP) जैसी पहल के लिये वित्तपोषण की चुनौती वैश्विक सहयोग के प्रति समर्थ देशों की कमज़ोर इच्छाशक्ति को दर्शाता है।
- नेतृत्त्व की विफलता:
  - COVID-19 महामारी ने प्रमुख बहुपक्षीय संस्थाओं के नेतृत्त्व की भारी कमियों को रेखांकित किया है।
  - इस महामारी के दौरान 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) न सिर्फ COVID-19 की विभीषिका के संदर्भ में विश्व को आगाह करने में विफल रहा बल्कि WHO इस चुनौती से निपटने के लिये सदस्य देशों को एकजुट करने में संघर्ष करता दिखाई दिया।
  - उदाहरण के लिये- अमेरिका COVID-19 के लिये चीन को उत्तरदायी बताते हुए WHO से अलग हो गया।
  - साथ ही वर्तमान में WHO द्वारा COVID-19 वैक्सीन निर्माण के लिये कोवैक्स (COVAX) जैसी पहल के बावजूद कई देशों द्वारा COVID-19 वैक्सीन के निर्माण हेतु समानांतर और व्यक्तिगत प्रयास देखने को मिले हैं।
- प्रतिनिधित्त्व का अभाव:
  - अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने बाद आज भी संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय संस्थानों और साझा प्रयासों का केंद्र बना हुआ है, हालाँकि वर्तमान में यह संस्थान अपने प्रारंभिक दृष्टिकोण की एक छाया बन कर रह गया है।
  - वर्तमान में यदि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक चुनौतियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जुटाने में सक्रियता की कमी देखने को मिली है तो इसके लिये इस संगठन के सबसे शक्तिशाली देश ही उत्तरदायी हैं।
  - इन शक्तिशाली सदस्यों ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र को महत्त्वपूर्ण संसाधनों से वंचित रखा है बल्कि पिछले 75 वर्षों के दौरान इस संगठन में काफी समय से लंबित सुधार के प्रयासों का भी विरोध किया है।
  - पिछले 75 वर्षों के दौरान वैश्विक राजनीति में हुए भारी बदलावों के बाद वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र आज की वैश्विक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
  - वर्तमान में लगभग 1.3 बिलियन की आबादी, लोकतंत्र समर्थक, वैश्विक शांति में प्रमुख भूमिका निभाने और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भी भारत जैसे देश को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से वंचित रखा जाना संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

वैश्वीकरण का भविष्य और साझा सहयोग का महत्त्व:

- हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही अधिकांश देशों के बीच संरक्षणवादी विचारों में वृद्धि देखने को मिली है परंतु वैश्वीकरण किसी-न-किसी रूप में हमेशा ही सक्रिय रहता है।
- COVID-19 महामारी के कारण डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैश्वीकरण में तेज़ प्रगति देखने को मिली है।
- वर्तमान में वैश्वीकरण प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ा हुआ है, ऐसे में जब तक प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक बनी रहती है, वैश्वीकरण भी बना रहेगा।
- COVID-19 की ही तरह वैश्विक स्तर पर आने वाली अन्य चुनौतियों की व्यापकता और गंभीरता के साथ इसके लिये तात्कालिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की भूमिका और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

- यदि ऐसे संस्थानों में शामिल सभी सदस्य अपनी क्षमता के अनुरूप सहयोग की भावना के साथ आए तो समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासों की गतिशीलता और उनके परिणामों में भारी सुधार देखने को मिलेगा।
- वर्तमान में UN जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वैश्विक मुद्दों/समस्याओं के महत्त्व के विस्तार के साथ इसके समाधान के लिये बहुपक्षीय दृष्टिकोण की आवश्यकता बहुत बढ़ी है।
- भारत हमेशा से ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर स्थायी शांति और समृद्धि के लिये बहुपक्षवाद के मार्ग को अपनाने के संदर्भ में भारत के समर्थन को दोहराते हुए साझा चुनौतियों के समाधान हेतु मिलकर कार्य करने का आह्वान किया था।

स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों का एकीकरण:

- समकालीन विश्व में स्थानीय और बाहरी मुद्दों का अंतर तेज़ी से समाप्त हुआ है, बहुत से मामलों में घरेलू चुनौतियों से निपटने के दौरान बाहरी सहयोग लगभग अनिवार्य हो गया है
- उदाहरण के लिये, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के लिये यह तथ्य पूर्णतया सही है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत भले ही अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने में सफल हो जाए परंतु हम जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से तब तक प्रभावित होते रहेंगे जब तक सभी देश अपना उत्सर्जन कम नहीं करते हैं।
- COVID-19 चीन से शुरू होकर उन देशों तक भी पहुँच गया जिनका इस दौरान चीन से कोई सीधा संपर्क नहीं था ऐसे में यदि वैश्विक स्तर पर पहले से एक मज़बूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली होती तो इस महामारी की क्षति को कम किया जा सकता था।
- इसी प्रकार ऊर्जा, जल और खाद्य सुरक्षा की चुनतियाँ भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के प्रयासों के दौरान जल तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न हो सकती है, साथ ही स्वास्थ्य पर भी इसका संपार्श्विक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

आगे की राह:

- समकालीन विश्व में अधिकांश समस्याओं के समाधान में व्यापक वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable development Goals- SDGs) पर सहमति व्यक्त की गई थी।
- COVID-19 महामारी से यह स्पष्ट हुआ है कि विश्व के किसी भी कोने में एक नई महामारी उठकर पूरे विश्व में फैल सकती है, साथ ही ऐसी किसी समस्या का समाधान बल प्रयोग के माध्यम से नहीं बल्कि सामूहिक सहयोग से किया जा सकता है और यह केवल एक बहुपक्षवादी वैश्विक व्यवस्था में ही संभव है।
- इस महामारी के बाद विश्व के देशों को राजनीतिक अवसरवादिता और राष्ट्रवादी विचारों को पीछे रखते हुए वैश्विक सहयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा।
- COVID-19 महामारी से सीख लेते हुए WHO और UN जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार किये जाने चाहिये।
- संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिये इसकी प्रमुख इकाइयों जैसे UNSC में व्यापक वैश्विक प्रतिनिधित्त्व का होना बहुत ही आवश्यक है।
- भारत को UNSC में अपनी अस्थाई सदस्यता के अगले दो वर्षों के कार्यकाल के दौरान अपनी स्थायी सदस्यता के साथ UN की कार्यप्रणाली में अन्य आवश्यक सुधारों को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिये।

निष्कर्ष:

वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिये वर्तमान में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की आवश्यकता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो और पारदर्शी कार्यप्रणाली के साथ साझा उत्तरदायित्व एवं समान प्रतिनिधित्व का समर्थन करता हो। COVID-19 महामारी ने विश्व को बहुपक्षवाद के महत्त्व और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता को याद दिलाने के लिये महत्त्वपूर्ण संकेत का काम किया है। अत: विश्व के सभी देशों को मिलकर अपने साझा हितों की रक्षा हेतु सहयोग को बढ़ावा देना चाहिये।

तालिबान शासन में महिला अधिकारों का भविष्य

संदर्भ:

हाल ही में अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में तालिबानी लड़ाकों और सरकारी सैन्यबलों के बीच शुरू हुई भीषण लड़ाई के कारण क्षेत्र के हज़ारों परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते के बाद पिछले माह अफगानिस्तान सरकार तथा तालिबान के बीच वार्ता शुरू हुई थी। अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद से यह पहला मौका नहीं है जब तालिबान द्वारा शांति समझौते का उल्लंघन किया गया है। अफगानिस्तान में लगभग दो दशकों के गैर-निर्णायक संघर्ष के बाद जैसे-जैसे अमेरिकी सेना पीछे हट रही है, देश में एक बार फिर अस्थिरता और अशांति का खतरा उत्पन्न हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ इस्लामी कट्टरपंथ की वापसी की आशंकाओं के बीच समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों विशेषकर महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर भी चिंताएँ उठने लगी हैं।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1990 के दशक में अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी के साथ उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय हुआ।
- अफगानिस्तान से सोवियत सेना के जाने के कारण तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मज़बूत की और अफगानिस्तान पर इस्लामी शासन लागू किया।
- तालिबान के शासन (वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 2001 तक) के दौरान जनता (विशेषकर महिलाओं) को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया।
- वर्ष 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से हटा दिया।
- दिसंबर 2001 में अमेरिका के सहयोग से हामिद करज़ई को अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासनिक प्रमुख के रूप में नियुक्त गया।

तालिबानी अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति:

- अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के दौरान महिलाओं को बगैर किसी पुरुष को साथ लिये घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी।
- इस दौरान महिलाओं की शिक्षा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।
- तालिबान द्वारा महिलाओं को नौकरी करने से रोक दिया गया था, हालाँकि कुछ महिलाओं को खेतों (विशेषकर अफीम की खेती जो तालिबान की आय का प्रमुख स्रोत था) में कार्य करने की अनुमति दी गई।
- महिलाओं को राजनीति में हिस्सा लेने और सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने की अनुमति नहीं थी।
- तालिबान के शासन के दौरान महिलाओं को पुरुष डॉक्टरों से इलाज की अनुमति नहीं थी, महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार पर प्रतिबंध होने के कारण महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन गई थी।

महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास:

- वर्ष 2001 में तालिबान के शासन के अंत के बाद वर्ष 2004 के संविधान में महिलाओं की समाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उनके सभी अधिकारों को पुन: स्थापित किया गया।
- वर्ष 2018 तक अफगानिस्तान में 3,135 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कर उनका संचालन शुरू किया। अफगान सरकार के अनुसार, इन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से देश की 87% आबादी के लिये उनके घर से 2 घंटे की दूरी के अंदर चिकित्सा सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित की जा सकी है।
- वर्ष 2003 में अफगानिस्तान के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित लड़कियों की संख्या 10% से भी कम थी, हालाँकि सरकार के प्रयासों के बाद वर्ष 2017 तक यह संख्या बढ़कर 33% तक पहुँच गई।
- इसी प्रकार वर्ष 2003 में माध्यमिक शिक्षा केंद्रों में महिलाओं का नामांकन मात्र 6% ही था, जो वर्ष 2017 तक बढ़कर 39% तक पहुँच गया।
- सरकार द्वारा वर्ष 2017 में स्कूली शिक्षा में 35 लाख लड़कियों और विश्वविद्यालयों में लगभग 1 लाख लड़कियों के नामांकन के साथ महिलाओं के लिये शिक्षा की पहुँच को बढ़ाने का प्रयास किया गया।

नोट :

- वर्ष 2009 में अफगानिस्तान में 'महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन' (Elimination of Violence Against Women-EVAW) कानून को अपनाया गया।

हालिया घटनाक्रम:

- अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना और तालिबान लड़ाकों के बीच लगभग दो दशकों तक चले संघर्ष के बाद फरवरी 2020 में दोनों पक्षों ने एक शांति समझौते की घोषणा की।
- इस समझौते के तहत अमेरिका ने अगले 14 माह के अंदर अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति व्यक्त की।
- इस समझौते के तहत अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कैदियों की रिहाई के संदर्भ में भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
  - इसके तहत अफगानिस्तान सरकार द्वारा देश की जेलों में बंद लगभग 5,000 तालिबानी कैदियों और तालिबान द्वारा पकड़े गए लगभग 1000 सरकारी कर्मचारियों तथा सैन्य कर्मियों को 'अंतर-अफगान वार्ता' (Intra-Afghan Negotiations) के पहले रिहा करने पर सहमति व्यक्त की गई थी।
- इसके साथ ही इस समझौते के तहत अमेरिका द्वारा तालिबानी नेताओं पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की बात भी कही गई।

तालिबान शासन में महिलाओं का भविष्य :

- अफगानिस्तान की 75% महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जहाँ तालिबान की पकड़ हमेशा ही बनी रही है और अमेरिका-तालिबान शांति वार्ताओं के दौरान भी इन क्षेत्रों में तालिबान तथा अफगान सैनिकों के बीच संघर्ष नहीं रुका है।
- हाल के वर्षों में अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में तालिबान एक बार पुन: मज़बूत हुआ है, गौरतलब है कि वर्ष 2011 में किये गए एक अध्ययन में अफगानिस्तान को 'महिलाओं के लिये सबसे असुरक्षित देश' के रूप में चिह्नित किया गया था।
- वर्तमान में मध्यपूर्व में इस्लामिक स्टेट की पकड़ कमज़ोर होने के बाद तालिबान शासित अफगानिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों को एक नया मंच मिल सकता है, जिसके कारण अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में भारी वृद्धि होगी।
- पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक दलों के बीच आपसी विवाद के बढ़ने और कई दलों द्वारा तलिबान से सत्ता साझा करने पर वार्ता के लिये सहमति देने से तालिबान की स्थिति और अधिक मज़बूत हुई है।
- अमेरिका के साथ शांति वार्ताओं के दौरान तालिबान द्वारा शरिया कानून के तहत महिला अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है परंतु तालिबान द्वारा इस मुद्दे पर कोई अधिक जानकारी नहीं दी गई है, जिससे इस मुद्दे पर तालिबान के विचारों पर अस्पष्टता बनी हुई है।

पाकिस्तान की भूमिका:

- धार्मिक कट्टरपंथ:
  - हाल के दिनों में पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों के खिलाफ दबाव में वृद्धि देखने को मिली है।
  - गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (PTI) के नेताओं द्वारा विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसके तहत उन सुन्नी धर्म गुरुओं के प्रति श्रद्धा को अनिवार्य बताया गया जिनका शिया मुस्लिमों द्वारा परंपरागत रूप से विरोध देखने को मिला है।
  - पाकिस्तान में शिया समुदाय का उत्पीड़न तालिबान शासित अफगानिस्तान में शिया समुदाय (विशेषकर हज़ारा लोगों) के शोषण के लिये तालिबान के साहस को बढ़ाएगा।
  - एक रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट शासन के अत्याचार से बचने के लिये लगभग 4 लाख लोगों को पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी और वर्ष 1980 के अंत तक पाकिस्तान में रह रहे अफगान प्रवासियों की संख्या 40 लाख तक पहुँच गई थी।
  - अफगानिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथ और शिया विरोधी गतिविधियों की वृद्धि से एक बार पुन: अल्पसंख्यकों के पलायन (जिसमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की होगी) का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप:
  - अमेरिका-तालिबान शांति वार्ता की शुरुआत के बाद से ही पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश के राजनीतिक बदलाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहा है।

- गौरतलब है कि इस वार्ता के शुरू होने के बाद तालिबान प्रतिनिधि मंडल कई बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका है।
- पाकिस्तान इस मौके का लाभ उठाकर क्षेत्र में अपनी पकड़ को मज़बूत करने का प्रयास करना चाहेगा।

भारत का योगदान:

- भारत हमेशा से ही एक लोकतांत्रिक और स्व-शासित अफगानिस्तान का समर्थक रहा है।
- वर्ष 2001 के बाद से ही भारत सरकार और देश के कई गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा अफगानिस्तान में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों के साथ महिला सशक्तीकरण में भी अपना योगदान दिया गया है, इसके साथ ही वर्ष 2017 में भारत द्वारा कुछ अफगान महिला सैनिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।
- अफगानिस्तान में भारतीय NGOs के कार्यों के लिये उन्हें 'यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट' (U.S. Agency for International Development-USAID) जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

क्षेत्रीय शांति और भारत के हितों पर प्रभाव:

- अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के पीछे हटने से क्षेत्र की शांति के लिये एक बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी सैनिकों की अनुपस्थिति में अफगानिस्तान की अस्थिरता का लाभ उठाकर पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादी घटनाओं को संचालित करने के लिये अफगानिस्तान का प्रयोग किया जा सकता है।
- वर्तमान अफगान सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों के अधिकांश मुद्दों पर भारत का समर्थन किया है, परंतु तालिबान पाकिस्तान के अधिक नज़दीक है।
- मध्य एशिया के बाज़ारों में भारत की पकड़ मज़बूत करने में अफगानिस्तान की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, ऐसे में यदि अफगानिस्तान में तालिबान पुन: सत्ता में वापस आता है तो इससे भारतीय परियोजनाओं को भारी क्षति होगी।

आगे की राह:

- हाल के दिनों में अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में तालिबान लड़ाकों के हमलों में हो रही वृद्धि के बीच इस क्षेत्र से अमेरिकी सेना को पूरी तरह से हटाए जाने के बाद क्षेत्र में भारी अशांति फैल सकती है।
- तालिबान से शांति वार्ता के दौरान भविष्य के अफगानिस्तान में महिलाओं की भूमिका के मुद्दों और महिला अधिकारों (शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक,सामाजिक आदि) के संदर्भ में एक न्यूनतम मानक का निर्धारण किया जाना चाहिये।
- अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना के हटने के बाद भी अफगान राजनीति में आर्थिक सहायता के माध्यम से अमेरिका की पकड़ बनी रहेगी ऐसे में यदि अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी होती है, तब भी अमेरिका अफगानिस्तान में महिला अधिकारों की रक्षा हेतु आर्थिक प्रतिबंधों को दबाव बनाने के हथियार के रूप में प्रयोग कर सकेगा।
- अफगानिस्तान के बदलते राजनीतिक परिवेश में भारत को तालिबान से वार्ता करने पर विचार करना चाहिये, हालाँकि यह वार्ता अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार के सामंजस्य के साथ ही होनी चाहिये।

मालाबार नौसैनिक अभ्यास तथा ऑस्ट्रेलिया

संदर्भ :

वर्षों के विचार-विमर्श के बाद रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि मालाबार, 2020 नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा। यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ हिंद प्रशांत की भू-राजनीति हेतु भी महत्त्वपूर्ण है। यह रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अफ्रीका के पूर्वी तट से पूर्वी एशिया तक फैले हुए जलीय भागों तक विस्तारित है। भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है और इसी आलोक में ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग के चलते मालाबार, 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की भागीदारी होगी। मालाबार, 2020 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन नवंबर के अंत में किया जाना है और अक्तूबर के अंत में अभ्यास के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिये एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।

युद्धाभ्यास से संबंधित तैयारियाँ:

- चेन्नई के तट के करीब बंगाल की खाड़ी में होने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इस अभ्यास के दौरान लगभग 20 लड़ाकू विमान और दर्ज़नों फाइटर जेट्स इसमें भाग लेंगे।
- इस सैन्य अभ्यास में तीनों देशों के तीन विमानवाहक पोतों को भी शामिल किया जा रहा है। भारत द्वारा अब तक किसी भी देश के साथ हुए युद्धाभ्यास में एक साथ तीन विमान वाहक पोतों का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
- इस सैन्य अभ्यास में भारत का आईएनएस विक्रमादित्य, जापान का इज़ूमो (हेलिकॉप्टर्स करियर) और अमेरिका का निमित्ज़ विमान वाहक पोत शामिल है।
- सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले अमेरिकी बेड़े की खासियत यह है कि एक लाख टन वज़नी विमान वाहक पोत यूएसएस निमित्ज़, न्यूक्लियर पावर से चलने वाला यूएसएस निमित्ज़ एफए-18 फाइटर जेट्स से लैस है।
- इज़रायल के बाद भारत पहला देश है जहाँ अमेरिका सैन्य युद्धाभ्यास में न्यूक्लियर सबमरीन लेकर आया है। इस युद्धाभ्यास में सबसे बड़ा एंटी सबमरीन हथियार भी शामिल किया जा रहा है।
- विदित हो कि इस युद्धाभ्यास में भारत के विमान वाहक युद्धपोत विक्रमादित्य के अलावा दो शिवालिक श्रेणी के युद्धपोत भी शामिल हैं।

युद्धाभ्यास से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- नौसेना अभ्यास, जो अगले महीने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होने वाला है, यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते हुए औपचारिक रूप से क्वाड समूह के चार देशों की नौसेनाओं को एक साथ लाएगा।
- आखिरी बार ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक जहाज़ मालाबार नौसैनिक अभ्यास में वर्ष 2007 में शामिल हुए थे, जब यह भारत, अमेरिका, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाने वाला पाँच देशों का अभ्यास था। वर्ष 2007 तक, मालाबार अमेरिकी नौसेना के साथ एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास था जो वर्ष 1992 में शुरू किया गया था।
- भारतीय नौसेना द्वारा पाँच राष्ट्रों के साथ अभ्यास का निर्णय संभवत: भू-राजनीतिक से अधिक प्रशासनिक था।
- इन भागीदारों में से प्रत्येक के साथ अलग-अलग अभ्यास करने के बजाय उन्हें एक साथ लाना समझदारी पूर्ण कदम माना जाता था। लेकिन बंगाल की खाड़ी में बहुपक्षीय अभ्यास का चीन ने विरोध किया और इसे "एशियाई नाटो" के रूप में करार दिया।
- वर्ष 2015 में पुन: जापान को वार्षिक मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया।

ऑस्ट्रेलिया को मालाबार में अभी तक शामिल क्यों नहीं किया गया :

- भारत और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही एक मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समर्थक रहे हैं।
- मालाबार में शामिल होने के लिये ऑस्ट्रेलिया की उत्सुकता के बावजूद भारत ने इसे भारत, अमेरिका और जापान तक सीमित कर दिया। भारत की हिचकिचाहट के पीछे मुख्य चिंता यह थी कि नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने से यह चीन के खिलाफ एक 'चतुष्पक्षीय सैन्य गठबंधन' के समान प्रतीत होगा जिससे चीन की नाजुक राजनीतिक संवेदनशीलता को ठेस पहुँच सकती है तथा भारत और चीन के बीच तनाव और अधिक बढ़ सकता है।
- किंतु चीन के आक्रामक रवैये ने भारत के इस पूर्वानुमान को स्पष्ट रूप से बदल दिया है। चीन भारत के प्रमुख क्षेत्रीय और बहुपक्षीय हितों को कम कर रहा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ा रहा है, इन सबको देखते हुए भारत के पास चीन के संदर्भ में अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीन की लद्दाख आक्रामकता इस ताबूत की अंतिम कील थी।

ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के संभावित लाभ:

- वस्तुस्थिति यह है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ समय में इन चारों देशों के बीच आपसी समझ लगातार बढ़ी है।
- चीन की आक्रामक नीतियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही यह साझेदारी अभी बेहद शुरुआती चरण में है और इसमें किसी प्रकार की परिपक्वता नहीं है।
- माना जाता है कि धरातल पर उतरने के बाद चार देशों की यह साझेदारी वैश्विक शक्ति समीकरण पर गहरा असर डाल सकती है। ये चारों देश एक-दूसरे के हितों की रक्षा के साथ-साथ परस्पर समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकते हैं।

नोट :

- चीन की विस्तारवादी नीति इन चारों को प्रभावित करती है, इसलिये इनका एकजुट होना समय की ज़रूरत है। भारत ने चीन के बेल्ट रोड इनीशिएटिव (BRI) प्रोजेक्ट से अपनी सुरक्षा प्रभावित होने की बात शुरू में ही उठाई थी।
- चीन भले ही कहे कि उसकी इस परियोजना से भारत सहित क्षेत्र के सभी देश लाभ उठा सकते हैं, पर चीन के इरादे अब दुनिया में संदेह से ही देखे जाते हैं।
- अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-जापान-भारत के आपसी सहयोग से चतुष्कोणीय गठबंधन मज़बूत होगा जो मध्य एशिया के तेल और गैस के भंडारों और पूर्वी यूरोप के बाज़ारों तक हमारी आसान पहुँच सुनिश्चित करेगा।
- इसके लिये फिलहाल दो ही रास्ते दिखते हैं - एक पाकिस्तान होकर और दूसरा ईरान होकर।
- पाकिस्तान का रास्ता चीन के कब्ज़े में है और ईरान के रास्ते के आड़े अमेरिका के उसके साथ बिगड़ते हुए संबंध आते हैं। अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-जापान-भारत का चतुष्कोणीय गठबंधन पूर्ववर्ती एशिया-प्रशांत संकल्पना के स्थान पर हिंद-प्रशांत संकल्पना की बात करता है और इसी को मज़बूती देने के उद्देश्य से इसकी परिकल्पना की गई है।

मालाबार अभ्यास में निहित चुनौतियाँ:

- समुद्री अभ्यास पर प्रायः सहमति की कमी है, जबकि अमेरिका, अमेरिका-भारत सहयोग को भारत-प्रशांत के 'बुकेंड' या 'आलंब' के रूप में देखता है, भारत और जापान ने महासागरों की अपनी परिभाषा में अफ्रीका तक को शामिल किया है।
- चीन के क्षेत्रीय दावे तथा देशों के साथ विवाद;
- क्वाड देशों के बीच व्यापार जैसे अनेक मामलों को लेकर टकराव;
- मालाबार अभ्यास को एशिया के नाटो की संज्ञा दी जाती है, जो कि उचित नहीं है।

मालाबार नौसैनिक अभ्यास:

- मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत-अमेरिका-जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
- मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी।
- वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य रक्षा सहयोग:

म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट:

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट' (Mutual Logistics Support Agreement-MLSA) की घोषणा द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है।
- इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकेंगे।
- यह समझौता दोनों देशों के लिये सैन्य आपूर्ति को आसान बनाने के साथ परिचालन सुधार में सहायक होगा।
- वर्ष 2016 में भारत और अमेरिका के बीच 'लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट' (Logistics Exchange Memorandum of Agreement- LEMOA) पर हस्ताक्षर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना जिसने भारत के समक्ष MLSA का मसौदा प्रस्तुत किया था।
- इस समझौते पर पिछले वर्ष भारतीय रक्षा मंत्री की कैनबरा (Canberra) यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया जाना प्रस्तावित था परंतु यह यात्रा रद्द होने और इसके बाद जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया की वनाग्नि तथा मई 2020 में COVID-19 के कारण इसे विलंबित कर दिया गया था।

समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness- MDA):

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री क्षेत्र जागरूकता को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक 'समुद्री सहयोग समझौते' (Maritime Cooperation Agreement) पर कार्य किया जा रहा है।

नोट :

- ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय नौसेना के गुरुग्राम स्थित 'सूचना संलयन केंद्र – हिंद महासागर क्षेत्र' (Information Fusion Centre - Indian Ocean Region or IFC-IOR) पर अपने एक संपर्क अधिकारी को तैनात करने पर सहमति ज़ाहिर की है।

निष्कर्ष:

यद्यपि ऑस्ट्रेलिया को मालाबार में शामिल करने का निर्णय लद्दाख में चीन के साथ जारी टकराव के बीच आया है, लेकिन यह नौसेना अभ्यास इस घटना से प्रेरित नहीं है। चीन के खिलाफ भारत के क्षेत्रीय युद्ध में अपने क्वाड साझेदारों को लाने में भारत की कोई दिलचस्पी नहीं है। यह ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों का विस्तार करने से संबंधित है। वस्तुत: यह सैन्य क्वाड एक स्थायी इंडो-पैसिफिक गठबंधन बनाने से प्रेरित है जो एक आक्रामक चीनी राज्य के उदय से उत्पन्न रणनीतिक असंतुलन को बड़े पैमाने पर संबोधित करने में सक्षम है।

ग्रीस-तुर्की के मध्य बढ़ता गतिरोध

संदर्भ:

19 अक्तूबर, 2020 को ग्रीस ने कहा कि वह अपने क्षेत्र में प्रवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिये तुर्की के साथ लगती अपनी सीमा पर एक दीवार का विस्तार करेगा। इस घटना को ग्रीस और तुर्की के बीच तेज़ी से बिगड़ते संबंधों के हालिया संकेत के रूप में देखा जा रहा है, गौरतलब है कि कई महीने पहले तुर्की ने कहा था कि वह शरणार्थियों को यूरोप में जाने से नहीं रोकेगा।

- ग्रीक सरकार का कहना है कि वह अप्रैल 2021 के अंत तक तुर्की के साथ पहले से मौजूद 10 किमी. लंबी दीवार को 26 किमी. तक और विस्तारित करेगी जिससे इस परियोजना पर 63 मिलियन यूरो खर्च होंगे।

ग्रीस-तुर्की के मध्य विवाद के प्रमुख बिंदु:

- कस्टम यूनियन एग्रीमेंट (Custom Union Agreement):
  - हाल ही में ग्रीस के विदेश मंत्रालय द्वारा तुर्की के साथ कस्टम यूनियन एग्रीमेंट (Custom Union Agreement) को निलंबित करने पर विचार करने के लिये यूरोपीय संघ को एक पत्र लिखा गया था।

कस्टम यूनियन एग्रीमेंट (Custom Union Agreement):

- यूरोपीय संघ और तुर्की एक 'कस्टम यूनियन एग्रीमेंट' से जुड़े हैं जो 31 दिसंबर, 1995 को लागू हुआ।
- तुर्की वर्ष 1999 से यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला एक उम्मीदवार देश है और यूरो-भूमध्यसागरीय साझेदारी (Euro-Mediterranean Partnership) का सदस्य है।
- यह सभी औद्योगिक वस्तुओं को संदर्भित करता है किंतु कृषि (प्रसंस्करित कृषि उत्पादों को छोड़कर), सेवाओं या सार्वजनिक खरीद को संदर्भित नहीं करता है।
- इसके तहत द्विपक्षीय व्यापार रियायतें कृषि के साथ-साथ कोयला एवं इस्पात उत्पादों पर भी लागू होती हैं।

यूरो-भूमध्यसागरीय साझेदारी (Euro-Mediterranean Partnership):

- यूरो-भूमध्यसागरीय साझेदारी, यूरोपीय संघ के दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के 16 देशों में आर्थिक एकीकरण एवं लोकतांत्रिक सुधार को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।
- ब्लूमबर्ग (Bloomberg) की एक रिपोर्ट:
  - ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रीस ने तुर्की को हथियारों का निर्यात रोकने के लिये जर्मनी सहित यूरोपीय संघ के तीन सहयोगियों को चर्चा के लिये बुलाया था।
- दो नाटो सहयोगियों (ग्रीस-तुर्की) के बीच संबंध जो दशकों से विवादास्पद रहे हैं इस वर्ष चरम पर पहुँच चुके हैं। दोनों देशों के मध्य शरणार्थी समस्या, तेल की खोज और हागिया सोफिया स्मारक सहित कई मुद्दों पर विवाद चल रहा है।

ग्रीस-तुर्की प्रवास विवाद (Greece-Turkey migration dispute):

- वर्ष 2011 में सीरियाई युद्ध की शुरुआत के बाद से विस्थापित हुए सीरियाई शरणार्थियों ने तुर्की में शरण ली है।

- नवीनतम ज्ञात आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में तुर्की में लगभग 37 लाख सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं जिससे तुर्की में सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक तनाव बढ़ गया है।

- वर्ष 2015 में शरणार्थी संकट अपने चरम पर पहुँच गया क्योंकि जलमार्गों का उपयोग करके यूरोप जाने का प्रयास करते समय हज़ारों शरणार्थी डूब गए और इनमें से लगभग 10 लाख ग्रीस एवं इटली पहुँच गए।
- वर्ष 2016 में तुर्की ने एक समझौते के तहत प्रवासियों को यूरोपीय संघ में प्रवेश से रोकने पर सहमति जताई जिसके बदले में यूरोपीय देशों ने तुर्की द्वारा अपनी धरती पर शरणार्थियों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिये आर्थिक सहायता देने का वादा किया।
  - हालाँकि शरणार्थियों के प्रबंधन हेतु असमर्थता पर ज़ोर देते हुए फरवरी 2020 में तुर्की ने कहा कि वह वर्ष 2016 के समझौते का सम्मान नहीं करेगा।
- तुर्की की आलोचना: आलोचकों ने सीरिया के इदलिब प्रांत (Idlib Province) जहाँ पूर्ववर्ती सप्ताह में युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे, में अपने सैन्य अभियान के मद्देनज़र पश्चिमी सहयोगियों को एक मंच पर लाने के लिये प्रवासी मुद्दे को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करने के कारण तुर्की को दोषी ठहराया है।
  - सीरिया का इदलिब प्रांत अंतिम विद्रोही कब्ज़े वाले क्षेत्रों में से एक है जहाँ बड़े पैमाने पर संघर्ष की वापसी की आशंकाओं ने सीरियाई लोगों में तुर्की सीमा की ओर प्रवास की संभावनाओं को बढ़ा दिया था।
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) के अनुसार, तुर्की में 4.1 मिलियन शरणार्थी रह रहे हैं जिसमें 3.7 मिलियन सीरियाई लोग शामिल हैं।
- ग्रीस का पक्ष: ग्रीस ने कहा कि तुर्की शरणार्थियों का उपयोग 'एक प्यादे' की तरह कर रहा है।
  - मार्च, 2020 में हजारों प्रवासियों ने ग्रीस और बुल्गारिया के माध्यम से यूरोप में प्रवेश करने का प्रयास किया किंतु कोरोनोवायरस महामारी और सीमा पुलिसिंग की शुरुआत के कारण यह संख्या तेज़ी से गिर गई।

वैश्विक शरणार्थी संकट पर UNHRC की एक रिपोर्ट:

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 के अंत तक लगभग 79.5 मिलियन लोग विभिन्न कारणों से विस्थापित हुए, जो कि वैश्विक आबादी का लगभग 1 प्रतिशत हैं, इसमें से अधिकांश बच्चे थे।
- रिपोर्ट के अनुसार, 79.5 मिलियन में से, 26 मिलियन क्रॉस-बॉर्डर शरणार्थी थे, 45.7 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित थे, 4.2 मिलियन शरण (Asylum) माँगने वाले थे और 3.6 मिलियन वेनेज़ुएला से अन्य देशों में जाने वाले विस्थापित थे।
- इतनी बड़ी मात्रा में विस्थापन के मुख्य कारणों में उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन आदि को शामिल किया जा सकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 से सीरिया शरणार्थियों की उत्पत्ति के लिये एक प्रमुख देश रहा है। वर्ष 2019 के अंत में दुनिया भर के 126 देशों में कुल 6.6 मिलियन सीरियाई शरणार्थी थे।

ग्रीस-तुर्की: ऐतिहासिक संबंधों पर एक नज़र

- सदियों से तुर्की और ग्रीस ने एक विविध प्रकार का इतिहास साझा किया है। वर्ष 1830 में ग्रीस ने आधुनिक तुर्की के अग्रदूत 'ऑटोमन साम्राज्य' (Ottoman Empire) से स्वतंत्रता हासिल की।
- वर्ष 1923 में दोनों देशों ने अपनी मुस्लिम और ईसाई आबादी का आदान-प्रदान किया। यह दूसरा सबसे बड़ा मानव प्रवासन था केवल भारत के विभाजन के समय हुआ प्रवासन ही इतिहास में इससे बड़ा था।
- दोनों देश दशकों पुराने साइप्रस विवाद (Cyprus Conflict) को लेकर एक-दूसरे का विरोध करते रहते हैं और एजियन सागर (Aegean Sea) में अन्वेषण अधिकारों को लेकर दोनों देशों के मध्य दो अवसरों पर युद्ध जैसे हालात भी बन चुके हैं।
  - एजियन सागर भूमध्य सागर का ही एक विस्तृत भाग है। यह दक्षिणी बाल्कन क्षेत्र और अनातोलिया प्रायद्वीप के बीच में स्थित है इस प्रकार यह ग्रीस और तुर्की के मध्य स्थित है।

- हालाँकि दोनों देश 30 सदस्यीय नाटो (NATO) गठबंधन का हिस्सा हैं और तुर्की आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता के लिये एक उम्मीदवार है जबकि ग्रीस यूरोपीय संघ का एक सदस्य है।

पूर्वी भूमध्यसागरीय विवाद

- 40 वर्षों तक तुर्की और ग्रीस ने पूर्वी भू-मध्य सागर और एजियन सागर के अधिकारों पर असहमति जताई है, जहाँ तेल एवं गैस के भंडार होने की संभावनाएँ हैं।
- 21 जुलाई, 2020 को तुर्की ने घोषणा की कि ड्रिलिंग जहाज़ ओरुक रीस (Oruc Reis) तेल एवं गैस के लिये समुद्र के एक विवादित हिस्से की छान-बीन करेगा। ग्रीस ने अपनी वायु सेना, नौसेना और कोस्टगार्ड को हाई अलर्ट पर रखकर इसका प्रत्युत्तर दिया किंतु वार्ता के बाद तुर्की का ड्रिलिंग पोत सितंबर, 2020 में पीछे हट गया था।
- अक्तूबर, 2020 की शुरुआत में तुर्की ने पुन: अपनी योजना का क्रियान्वयन करना शुरू किया जिसके तहत कास्तेल्लोरिज़ो (Kastellorizo) नामक एक ग्रीक द्वीप के पास भूकंपीय सर्वेक्षण का संचालन किया।
- ग्रीस जो कास्तेल्लोरिज़ो द्वीप के आसपास के जल क्षेत्र को अपना मानता है, ने ड्रिलिंग जहाज़ की गतिविधियों को 'क्षेत्र में शांति के लिये प्रत्यक्ष संकट' के रूप में वर्णित किया है।
    - 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) पर एक हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में ग्रीस का कहना है कि पूर्वी भूमध्य सागर में अपने द्वीपीय क्षेत्रों पर विचार करते हुए इसकी महाद्वीपीय शेल्फ (Continental Shelf) की गणना की जानी चाहिये।
    - जबकि तुर्की जिसने UNCLOS पर हस्ताक्षर नहीं किया है, का तर्क है कि देश की महाद्वीपीय शेल्फ की गणना मुख्य भूमि से की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया कि ड्रिलिंग जहाज़ ओरुक रीस द्वारा संचालित की गई अन्वेषण गतिविधियाँ 'पूरी तरह से तुर्की के महाद्वीपीय शेल्फ' के अंतर्गत थी।

हागिया सोफिया संग्रहालय से संबंधित विवाद:

- गौरतलब है कि हाल ही में तुर्की द्वारा 1500 वर्ष पुराने हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद मंस परिवर्तित कर दिया गया था। जिसको लेकर दोनों देशों के मध्य एक गतिरोध कायम हो गया था।
- हागिया सोफिया को लेकर यह विवाद ऐसे समय में हुआ जब तुर्की और ग्रीस के बीच विभिन्न मुद्दों पर कूटनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा था।
- इसी वर्ष मई माह में ग्रीस ने पूर्व बाइज़ेंटाइन साम्राज्य पर ऑटोमन साम्राज्य के आक्रमण की 567वीं वर्षगांठ पर हागिया सोफिया संग्रहालय के अंदर कुरान के अंशों को पढ़ने पर आपत्ति जताई थी।
- ग्रीस के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा था कि तुर्की का यह कदम यूनेस्को के 'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी कन्वेंशन' (UNESCO's Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) का उल्लंघन है।
- इस विषय पर ग्रीस ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हागिया सोफिया विश्व भर के लाखों ईसाईयों के लिये आस्था का केंद्र है और तुर्की में इसका प्रयोग राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिये किया जा रहा है।

भारत पर प्रभाव:

- भू-मध्य सागरीय क्षेत्र में अस्थिरता का प्रभाव यहाँ रह रहे अप्रवासी भारतीयों के दैनिक जीवन और उनकी आजीविका पर पड़ सकता है, जो वर्तमान में COVID-19 महामारी के बीच एक बड़ी समस्या हो सकती है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत द्वारा कुल आयातित खनिज तेल में लगभग 4.5% भू-मध्य सागर क्षेत्र से था, ऐसे में भारत की ऊर्जा ज़रूरतों पर वर्तमान गतिरोध का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा परंतु भारत के लिये तेल आयात के दौरान किसी एक देश पर निर्भरता को कम करने और तेल आयात स्रोतों के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से क्षेत्र की स्थिरता बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने और भारत के कई अन्य आतंरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ वक्तव्य दिया है।

- सितंबर, 2020 में पूर्वी भू-मध्य सागर में तुर्की-रूस के एक नौसैनिक अभ्यास के मद्देनज़र वर्तमान क्षेत्रीय तनाव में रूस की भागीदारी से भारत के लिये किसी पक्ष का समर्थन का निर्णय और अधिक जटिल हो जाएगा।

आगे की राह:

- शरणार्थी संकट विश्व के समक्ष पिछली एक शताब्दी का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है। विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाएँ जैसे- भूकंप, बाढ़, युद्ध, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण पिछली एक शताब्दी में लोगों के विस्थापन की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। इनसे निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं जैसे- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) द्वारा प्रारंभ किये गए 'स्टेप विद रिफ्यूजी' (Step with Refugee) अभियान।
- प्रवासन ग्रीस और तुर्की के बीच विवाद का सिर्फ एक विवादित स्रोत है। किंतु दोनों देश के मध्य विवादित हवाई क्षेत्र, समुद्री सीमाओं, अल्पसंख्यक अधिकारों और ऊर्जा अन्वेषण से लेकर विशेष रूप से पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में कई मुद्दों पर गतिरोध है।
- भूमध्यसागरीय क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिये आवश्यक है कि सभी के हित में इस क्षेत्रीय तनाव को कम किया जाए और ऊर्जा संसाधन संबंधी संघर्ष का एक रणनीतिक एवं पारस्परिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहते हुए स्वीकार्य समाधान खोजने का प्रयास किया जाए।
- किसी राष्ट्र की वास्तुकला मूर्त सांस्कृतिक विरासत (Tangible Cultural Heritage) का एक हिस्सा है। एक विरासत के रूप में यह आने वाली पीढ़ियों के लिये भौतिक कलाकृतियों के बारे में जानने का एक मार्ग प्रदान करती है। ये मूर्त विरासत समाज का एक हिस्सा हैं और दशकों से मानव रचनात्मकता का एक प्रमाण हैं जब तकनीक का युग नहीं था।
- ''अपने पिछले इतिहास, उत्पत्ति और संस्कृति के ज्ञान के बिना एक व्यक्ति बिना जड़ों के पेड़ की तरह होता है।'' अत: सांस्कृतिक विरासतों के स्थिति में कोई भी बदलाव करने से अलग-अलग परंपराओं और संस्कृतियों के बीच एक 'सेतु' के रूप में सुदृढ़ हुए संबंध कमज़ोर होंगे।

पश्चिम एशिया: बदलता परिदृश्य

संदर्भ

भारत और चीन के बीच वर्ष 1962 के युद्ध के बाद से लेकर लद्दाख के गलवान क्षेत्र में आपसी झड़प के बाद भारत और चीन संबंधों के लिये वर्ष 2020 एक विभाजनकारी वर्ष साबित हुआ है। वर्तमान में नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंध अत्यंत शिथिल अवस्था में हैं। दोनों देशों से संबंधित पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को देखें तो न केवल भारत बल्कि चीन की विदेश नीति में भी व्यापक बदलाव आया है।

सामरिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):

- सामरिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) किसी राष्ट्र के अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और अन्य राष्ट्रों द्वारा किसी भी तरीके से बाधित किये बिना अपनी पसंदीदा विदेश नीति को अपनाने की क्षमता को दर्शाता है।
  - यह वह स्थिति है जो उस राष्ट्र को उन दबावों का विरोध करने में सक्षम बनाती है जो अन्य राष्ट्रों द्वारा अपनी नीति या हितों को बदलने के लिये बाध्य करते हैं।
- भारत के पूर्व विदेश सचिव 'विजय गोखले' के अनुसार, सामरिक स्वायत्तता की नीति नेहरूवादी युग की गुटनिरपेक्ष नीति की सोच से बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्ष नीति 'मुद्दों' पर आधारित है न कि वैचारिक है।

पश्चिमी एशिया में भारत-चीन की भूमिका:

- पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब, ईरान और इज़राइल जैसे तीन राजनीतिक ध्रुवों के साथ आपसी संबंधों में संतुलन बनाने के साथ-साथ पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के बहुस्तरीय संघर्षों और राजनीतिक दांवपेंचों में शामिल हुए बिना बीजिंग और नई दिल्ली ने 'गुट निरपेक्ष' विचारधारा के समान संस्करणों को नियोजित किया है।
  - रणनीतिकारों के अनुसार, एक समय ऐसा भी आया जब तेल उत्पादक संघों के खिलाफ प्रमुख तेल आयातकों (ज्यादातर विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ) के हितों को बढ़ावा देने के लिये 'इम्पोर्टर्स ओपेक' (Importers OPEC) के गठन के लिये प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थों को सुझाव दिये गए थे। जिसमें भारत और चीन जैसे देश साथ मिलकर अहम भूमिका निभा सकते थे।

वैश्विक परिदृश्य में भू-राजनीतिक बदलाव के परिणाम:

- हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में भू-राजनीतिक बदलावों के मद्देनज़र अमेरिका-चीन संबंधों में गिरावट, वर्ष 2019-20 में चीन से शुरू हुई COVID-19 महामारी, भारत-चीन के मध्य लद्दाख संकट ने प्रमुख राष्ट्रों को अपने भू-राजनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिये मजबूर किया।
- चूँकि भारत खाड़ी क्षेत्र में अपनी संतुलित कूटनीति को अपनाए हुए है परिणामत: सऊदी अरब और यूएई द्वारा भारतीय तटों पर मल्टी बिलियन डॉलर निवेश की आगामी घोषणाएँ केवल भारत की आर्थिक वास्तविकताओं को प्रदर्शित करती हैं।
  - वर्ष 2014 में NDA सरकार के सत्ता में आने के बाद से पश्चिम एशिया में भारत का दायरा बढ़ गया है।
  - पिछले कुछ वर्षों में शक्तिशाली एवं तेल-समृद्ध खाड़ी राष्ट्रों ने पश्चिमी देशों के बजाय अन्य देशों (जैसे- भारत) में निवेश हेतु विकल्पों की तलाश करनी शुरू की ताकि उनकी स्वयं की सामरिक स्थिति मज़बूत हो।
    - परिणामत: भारत ने खाड़ी राष्ट्रों (अबूधाबी व रियाद) के साथ अपने संबंधों को मज़बूत किया है।
    - सऊदी अरब वर्तमान में भारत का चौथा (चीन, अमेरिका और जापान के बाद) सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत और सऊदी अरब का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
    - भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 18% खनिज तेल सऊदी अरब से आयात करता है, साथ ही सऊदी अरब भारत के लिये 'तरल पेट्रोलियम गैस' या एलपीजी (LPG) का एक बड़ा स्त्रोत है।
- वहीं भारत-इज़राइल संबंध तेज़ी से आगे बढ़े हैं किंतु अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत-ईरान संबंधों में शिथिलता आई।

चीन के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण है 'पश्चिमी एशिया':

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में पश्चिम एशियाई क्षेत्र चीन के लिये दो दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण साबित हुआ।

1. चीन ने खाड़ी देशों की इस सोच को भुनाने की कोशिश की है कि ''अमेरिकी सुरक्षा नेटवर्क निरपेक्ष नहीं है और उन्हें दूसरे देशों में भी निवेश करने के बारे में सोचना चाहिये।''

- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में चीन आर्थिक और सैन्य दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। अत: चीन खाड़ी देशों के लिये वैकल्पिक निवेश स्थान के रूप में उभर सकता है।
  - वर्ष 2016 में चीन ने विंग लूंग (Loong) ड्रोन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को बेचा, यह अमेरिकी MQ-9 'रीपर' (Reaper) ड्रोन की एक प्रति है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेचने से इनकार कर दिया था।
- वर्ष 2015 में, सऊदी अरब चीन का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश था। बीजिंग ने रियाद को मध्यवर्ती श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल और DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली भी बेची है।

2. सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश भले ही पेट्रो डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव की कोशिश कर रहे हों किंतु कुछ विकासशील राष्ट्रों द्वारा अपनी आर्थिक प्रणालियों में सुधार के कारण आने वाले दशक में ये राष्ट्र (जैसे- चीन एवं भारत) तेल के बड़े आयातक साबित होगें। जो खाड़ी देशों के लिये बड़े तेल बाज़ार के रूप में उभरेंगे।

- वर्ष 2016 में शी जिनपिंग ने सबसे शक्तिशाली मुस्लिम राष्ट्रों (ईरान, सऊदी अरब और मिस्र) की यात्रा की। आर्थिक दृष्टिकोण से ये देश चीन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। चीन के संदर्भ में वर्ष 2014 में आयातित तेल की मांग 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2035 तक 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाने की उम्मीद है।
- किंतु अमेरिका-सऊदी अरब संबंधों के मद्देनज़र चीन ऊर्जा आपूर्ति के लिये पूरी तरह से सऊदी अरब पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहता है परिणामत: चीन ने ईरान के साथ अपने संबंधों प्रगाढ़ किया है और दोनों देशों के बीच मज़बूत रक्षा सहयोग भी कायम है।
- चीन की पश्चिम एशियाई नीति तीन सिद्धांतों पर आधारित है:
  - सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति
  - तैयार माल के लिये बाज़ारों का विस्तार
  - निवेश के अवसर खोजना

खाड़ी क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने की ओर चीन:

- हाल के वर्षों में ईरान परमाणु समझौते के मद्देनज़र चीन, पश्चिम एशियाई क्षेत्र से संबंधित वैश्विक कूटनीति में अधिक सक्रिय रहा है, सीरियाई संघर्ष के मद्देनज़र संयुक्त राष्ट्र में वीटो करके मज़बूत स्थिति प्रकट करना और यहाँ तक कि अपनी सैन्य ताकत (भूमध्य सागर में रूस के साथ नौसेना अभ्यास) को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है।
- यह पश्चिम एशिया में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में कार्य करने की चीन की इच्छा में बड़े बदलावों के अनुरूप है।
- हालाँकि, खाड़ी क्षेत्र में बीजिंग की हालिया भूमिका सूक्ष्म नहीं हैं। सितंबर, 2020 में एक रिपोर्ट 'ईरान और चीन के बीच 25-वर्ष की समझ' (25-year Understanding B/W Iran and China) में $400 बिलियन के व्यापार पर प्रकाश डाला गया है जिसमें बताया गया कि बीजिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान परमाणु समझौते को रद्द करने का सबसे अधिक लाभ उठाया।
    - विश्लेषकों का मानना है कि चीन अब पश्चिम एशिया में एक निष्क्रिय भूमिका के बजाय एक सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। वह 'विकास के माध्यम से शांति' जैसी अवधारणाओं की बजाय 'निवेश एवं प्रभाव' (Investment and Influence) जैसा एक वैकल्पिक मॉडल पेश करने के लिये तैयार है।
- हाल ही में चीनी विदेश मंत्री ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान खाड़ी क्षेत्र में तनाव को दूर करने के लिये एक 'नए फोरम' के गठन का सुझाव दिया जो पश्चिमी नेतृत्त्व वाले पारिस्थितिक तंत्र जो दशकों से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, का एक विकल्प हो।
- किंतु अभी यह देखा जाना बाकी है कि खाड़ी क्षेत्र में चीन इतने आक्रामक तरीके से समर्थन करते हुए सत्ता के ध्रुवों के बीच संतुलन कैसे बनाता है?

आगे की राह:

- यूएई और बहरीन के साथ इज़राइल के हालिया शांति समझौते ने खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता की संभावना को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब की सहमति के बगैर बहरीन इस समझौते के लिये आगे नहीं बढ़ सकता।
- हाल के वर्षों में अरब देशों में बड़े आर्थिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं, वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र के अधिकाँश देशों ने खनिज तेल और इस्लामिक कट्टरपंथ से हटकर एक आधुनिक एवं प्रगतिशील देश के रूप में स्वयं को प्रकट करने का प्रयास किया है। भारत को इस क्षेत्र के उभरते बाज़ार में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।
- क्वाड (QUAD) के गठन के साथ वर्तमान समय में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र भू-राजनीति के केंद्र में है किंतु पश्चिमी एशियाई क्षेत्र भी विश्व के प्रमुख राष्ट्रों को अपनी विदेश नीति की नए सिरे से समीक्षा करने को प्रोत्साहित किया है।

इंडो-पैसिफिक वार्ता: महत्त्व और चुनौतियाँ

संदर्भ:

हाल ही में भारत-अमेरिका के बीच तीसरी टू-प्लस-टू वार्ता (2+2 Dialogue) नई दिल्ली में आयोजित की गई। वार्ता के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत और अमेरिका के साझा लक्ष्यों को रेखांकित किया गया तथा दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, एक वैध 'आचार संहिता' के निर्माण पर बल दिया ताकि किसी भी देश के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके। भारत-अमेरिका ने कानून का शासन, पारदर्शिता और स्वतंत्र नेवीगेशन प्रणाली के साथ ही एक मुक्त एवं खुले और समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की आवश्यकता पर बल दिया। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि विगत कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीति का गुरुत्वीय केंद्र 'इंडो-पैसिफिक क्षेत्र' में स्थापित हो गया है।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र एक मानसिक मानचित्र संकल्पना (Indo-Pacific Region a Mental Map Concept):

- किसी भी क्षेत्र के मानचित्र का निर्धारण तीन आधारों, प्रथम भौगोलिक सीमांकन (नदी, सागर आदि के आधार पर सीमा निर्धारण), द्वितीय राजनीतिक सीमाएँ (राज्य, देश, महाद्वीप आदि) तथा तृतीय मानसिक मानचित्र (Mental Map) से समझा जा सकता है।

- मानसिक/मेंटल मानचित्र में भौगोलिक अंतरिक्ष (Geographic Space) भाग में मानवीय कल्पना या किसी उद्देश्य के आधार पर निर्धारण किया जाता है, जबकि वास्तव में उसका कोई अस्तित्त्व नहीं होता है।
- उदाहरण के लिये 'एशिया-प्रशांत क्षेत्र' एक राजनीतिक सीमा है, थार का मरुस्थल एक भौगोलिक सीमांकन है जबकि 'इंडो-पैसिफिक क्षेत्र' एक मानसिक संकल्पना है।

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र एक ऐसा मानसिक मानचित्र है जिसने हाल के वर्षों में पर्याप्त महत्त्व प्राप्त किया है।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर (Indian Ocean) और प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) के कुछ भागों को मिलाकर बना महासागरीय क्षेत्र है, जिसमें पूर्वी अफ्रीका तट, हिंद महासागर, पश्चिमी एवं मध्य प्रशांत महासागर शामिल हैं।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का महत्त्व:

भारत एक आर्थिक महाशक्ति:

- 2000 के दशक के मध्य में ऐसी उम्मीद की गई कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। इसी आशा के साथ भारत को अनेक देशों द्वारा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के रूप में स्वीकार किया गया।
- अमेरिका जैसे देशों द्वारा 'एशिया-प्रशांत क्षेत्र' के स्थान पर 'इंडो-पैसिफिक क्षेत्र' मानसिक भू-राजनीतिक संकल्पना को स्वीकार किया गया है।

चीन के खिलाफ भूमिका:

- पिछले दशक में भारत की आर्थिक विकास की दर उम्मीदों के अनुसार नहीं रह पाई परंतु एक दशक बाद भी भारत विकास की उन उम्मीदों पर कायम है तथा वर्तमान में इस क्षेत्र में 'चीनी कम्युनिस्ट पार्टी' की भूमिका के खिलाफ भारत को एक महत्त्वपूर्ण नेतृत्त्वकर्त्ता के रूप में स्वीकार किया गया है।

रणनीतिक अवस्थिति:

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यथा दक्षिण चीन सागर, आसियान के देश, मलक्का जलडमरूमध्य, गुआन आईलैंड, मार्शल आईलैंड रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- इसके अतिरिक्त लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ से भारत का तेल व्यापार होता है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र बनाम क्वाड:

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र एक व्यापक 'राजनीतिक-आर्थिक' संकल्पना है, जबकि क्वाड (Quad) रणनीतिक और सैन्य परामर्श के लिये एक मंच है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं।

समानता:

- प्रथम, क्वाड के सदस्य 'इंडो-पैसिफिक क्षेत्र' से हैं तथा सभी देश अपने-अपने क्षेत्रों के प्रमुख देश हैं।
- द्वितीय, क्वाड और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र दोनों का निर्माण चीन को केंद्र में रखकर किया गया है। यदि इन संगठनो/संकल्पनाओं के केंद्र से चीन को अलग कर दिया जाए तो इनके अस्तित्त्व की औचित्यता का आधार बहुत संकीर्ण होगा।
- इसी प्रकार यदि भारत को इन संगठनों से अलग कर दिया जाए तब भी इनके अस्तित्त्व का कोई आधार नहीं रह जाता।

मतभेद/असमानता:

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र एक 'राजनीतिक-आर्थिक दृष्टिकोण' है जबकि एक क्वाड 'सैन्य-रणनीतिक' दृष्टिकोण है।
- इंडो-पैसीफिक क्षेत्र की संकल्पना एक जटिल 'राजनीतिक और आर्थिक' दृष्टिकोण प्रदान करती है जिसमें चीन के साथ तमाम मतभेदों के बावजूद उसकी अवहेलना संभव नहीं है जबकि क्वाड का दृष्टिकोण तथा उद्देश्य ही मुख्यतया चीन विरोधी है।

दृष्टिकोणों का भविष्य:

- वर्तमान समय में केवल इतना कहा जा सकता है कि क्वाड की सफलता चीन की भूमिका पर निर्भर करेगी अर्थात यदि चीन इन देशों के खिलाफ अधिक आक्रमक सैन्य नीति अपनाता है तो 'क्वाड' उतना ही अधिक दृढ़ होगा।
- चीन यदि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 'ऋण जाल' तथा 'क्षेत्रीय प्रसार' की नीति लगातार अपनाता है तो भविष्य में यह 'इंडो-पैसीफीक क्षेत्र' के देशों को एक साथ मिलकर कार्य करने को बाध्य कर सकता है।

इंडो-पैसिफिक वार्ता के समक्ष चुनौतियाँ:

केवल रणनीतिक वार्ता और सैन्य सहयोग:

- हम जानते हैं कि 'इंडो-पैसिफिक क्षेत्र' एक व्यापक 'राजनीतिक-आर्थिक' संकल्पना है, जिसके अस्तित्त्व को बनाए रखने के लिये इसके सदस्यों के बीच मज़बूत आर्थिक भागीदारी और राजनैतिक संबंध आवश्यक है।
- केवल रणनीतिक वार्ता और संभावित सैन्य सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने से इसका अस्तित्त्व बने रहना संभव नहीं है।

RCEP से अलगाव:

- भारत ने 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' (Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) में शामिल न होने का निर्णय किया है। यह निर्णय क्षेत्र में देश की भविष्य में संबद्धताओं को संभावित रूप से जटिल कर सकता है।
  - क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) एक प्रस्तावित मेगा 'मुक्त व्यापार समझौता' (Free Trade Agreement-FTA) है।

बढ़ता व्यापार अंतराल:

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र तथा 'क्वाड' देशों के साथ चीन तथा भारत के व्यापार पर दृष्टि पात करे तो हम देखते हैं कि भारत की तुलना में चीन की व्यापार भागीदारी इन देशों के साथ बहुत अधिक है।
- उदाहरण के लिये, अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 बिलियन डॉलर है वहीँ चीन का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 737 बिलियन डॉलर है।
- भारत और चीन का इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ बढ़ता व्यापार अंतराल इस क्षेत्र की रणनीतिक वास्तविकताओं को आकार देने में एक प्रमुख निर्धारण की भूमिका निभाएगा।

अल्प संस्थागत जुड़ाव:

- संस्थागत जुड़ाव को व्यापक संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। भारत की तुलना में चीन का इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ संस्थागत जुड़ाव बहुत अधिक है।
- भारत का दक्षिण कोरिया, आसियान, जापान और श्रीलंका के साथ 'मुक्त व्यापार समझौता' (FTA) है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका, बांग्लादेश और मालदीव के साथ कोई 'मुक्त व्यापार समझौता' नहीं है।
- चीन का अमेरिका, बांग्लादेश के अलावा उपर्युक्त सभी देशों के साथ एफटीए है। जबकि श्रीलंका के साथ एफटीए पर वार्ता जारी है। इसी प्रकार चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच भी एक त्रिपक्षीय एफटीए पर वार्ता भी चल रही है।

चीन की ऋण जाल की कूटनीति:

- चीन क्षेत्र के देशों की मदद करने में 'आर्थिक सहायता' (Economic Aid) को एक रणनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करता है। जबकि भारत की नीति आर्थिक मदद के स्थान पर विकास में भागीदारी की है तथा यह भी चीन की तुलना में बहुत कम है।

  " रणनीतिक वार्ता अकेले आर्थिक वास्तविकताओं को साकार नहीं कर सकती है।"

ऋण-जाल कूटनीति (Debt-trap Diplomacy):

- यह देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में किये गए ऋण पर आधारित एक प्रकार की कूटनीति है।

नोट :

- इसमें एक लेनदार (Creditor) देश जानबूझकर किसी अन्य देनदार (Debtor) देश को तब तक ऋण प्रदान करता रहता है, जब वह ऋण दायित्वों को पूरा कराने में असमर्थ न हो जाए।
- देनदार देश के ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाने के बाद लेनदार देश इसके बदले में आर्थिक एवं राजनीतिक रियायतें प्राप्त करता है।
- उदाहरण के लिये, चीन ने श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज़ पर ले लिया क्योंकि श्रीलंका चीन को ऋण का पुनर्भुगतान नहीं कर पाया था।

सैन्य भागीदारी कमी:

- भारत का इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के साथ न केवल आर्थिक जुड़ाव कम है अपितु क्षेत्र के साथ रणनीतिक और सैन्य भागीदारी भी कम है। चीन क्षेत्र के कई देशों जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड आदि शामिल है , के लिये प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्त्ता है। सैन्य जुड़ाव के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन वांछनीय से कम है।

आगे की राह:

- भारत को क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज़ करने के लिये अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ सैन्य 'गठबंधन' का आसान रास्ता चुनने के स्थान पर क्षेत्र के साथ आर्थिक, सामरिक और सैन्य उपकरणों का उपयोग करते हुए एक स्थायी रणनीति अपनाने पर विचार करना चाहिये।
- भारत ने शीत युद्ध (Cold War) के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति तथा उसके बाद रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का पालन किया है। इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये कि क्या भारतीय 'रणनीतिक अभिजात वर्ग' क्वाड देशों के साथ सैन्य जुड़ाव का समर्थन करेगा? इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक 'आम राजनीतिक सहमति' बनाए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- भारत की विदेश नीति वर्तमान में एक 'यथार्थवादी मोड़' (Realistic Turn) पर है, जहाँ शक्ति-संतुलन और गठबंधन की राजनीति को किसी भी देश के लिये एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत भी वर्तमान में इसी विवशता के बीच फंसा हुआ है जहाँ भारत को भी अपनी रणनीतिक स्थिति पर पुनर्विचार करना ज़रूरी है। यदि भारत इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मज़बूत नहीं करता है, तो क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ सकती है तथा उसका प्रभाव पूरी दुनिया भर पर पड़ना संभावित है।

भारत-श्रीलंका संबंधों में बहुलवाद की भूमिका

संदर्भ:

वर्ष 1948 में आज़ादी से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। लेकिन श्रीलंका को लगातार एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी देशों की आज़ादी के बाद लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती या तो सेना की ओर से या राजतंत्र की ओर से मिलती है। श्रीलंका को आज़ादी के बाद से ही जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी जड़ें वहाँ की जनसांख्यिकी में मौजूद बहुलवाद से संबंधित है। वर्ष 1983 के बाद से उग्रवादी तमिल संगठन 'लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम' (Liberation Tiger of Tamil Eelam-LTTE) जिसे लिट्टे भी कहा जाता है तथा श्रीलंकाई सेना के बीच सशस्त्र संघर्ष जारी रहा। यहाँ के अल्पसंख्यक मुस्लिमों को गैर-मुसलमान बहुसंख्यकों से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा नवीन संविधान का मसौदा पेश करने की घोषणा की गई जो 'सभी लोगों के लिये एक देश, एक कानून' की अवधारणा को प्राथमिकता देगा।

श्रीलंका में बहुलवाद की स्थिति:

- श्रीलंका में सामाजिक ताना-बाना विभिन्न जातीय, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों से मिलकर बना है। विभिन्न जातीय समूहों के बीच बहुत स्पष्ट अंतर है; देश की बहुसंख्यक सिंहली आबादी द्वारा बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, अधिकांश तमिल जनसंख्या हिंदू है, और 10% मुसलमान जनसंख्या इस्लाम धर्म का पालन करती है। ईसाई धर्म का पालन सिंहली और तमिल दोनों समुदायों द्वारा किया जाता है।
- श्रीलंका में धर्म (Religion) तथा नृजातीयता (Ethnicity), निकटता से संबंधित है। यद्यपि धर्म ने हमेशा से देश की स्वतंत्र पहचान की राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन धर्म को कभी भी सशस्त्र संघर्ष के प्रत्यक्ष कारण के रूप में नहीं समझा गया है।

बहुलवाद (Pluralism):

- बहुलवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो विभिन्न मान्यताओं, पृष्ठभूमि और जीवन शैली के लोगों के सह-अस्तित्व को स्वीकार करता है और राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भागीदारी का समर्थन करता है।
- बहुलवाद में सभी समुदायों को विश्वास में लेकर निर्णय लेने का समर्थन किया जाता है ताकि पूरे समाज के 'साझा उद्देश्यों'(Common Good) को प्राप्त किया जा सके।
- बहुलवाद में अल्पसंख्यक समूहों की स्वीकृति और एकीकरण को कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है, जैसे कि नागरिक अधिकार कानून।

दक्षिण एशिया में बहुलवाद की स्थिति:

- दक्षिण एशिया के अल्पसंख्यकों में चार प्रमुख वर्ग हैं:
  - दक्षिण एशिया में धर्म विवाद की एक प्रमुख धुरी रहा है।
  - जातिगत भेदभाव में दलितों का दक्षिण एशिया में सबसे अधिक शोषण हुआ है।
  - दक्षिण एशिया में महिलाओं का धार्मिक, जातिगत, जातीय या भाषाई अल्पसंख्यकों के रूप में दोहरा शोषण हुआ है।
  - दक्षिण एशिया में 50 मिलियन शरणार्थी और राज्यविहीन/स्टेटलेस जनसंख्या का अनुमान है।
- अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक- हिंदू, सिख, शिया और हज़ारा के साथ ही छोटे जातीय समूहों को विशेष रूप से वंचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- 'चकमा' बौद्ध को मानने वाले हैं, जबकि हाजोंग हिंदू हैं। इन दोनों जनजातियों को बांग्लादेश में कथित तौर पर धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।
- भारत में अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता है, लेकिन यह धार्मिक अधिकारों के संबंध में ज्यादा उदारवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता है।
- नेपाल के तराई क्षेत्र के दलित, मुस्लिम, मधेशी और जनजातीय लोग सबसे वंचित वर्गों में से हैं।
- पाकिस्तान में ईसाई, हिंदू, शिया, अहमदिया अल्पसंख्यकों तथा बलूच और पश्तून जातीय अल्पसंख्यकों को भी लक्षित किया जाता है।

श्रीलंका में बढ़ता ध्रुवीकरण:

- सामाजिक ध्रुवीकरण से तात्पर्य समाज से विशेष समूह के अलगाव से है, जो आय असमानता, विस्थापन या किसी अन्य आधार पर हो सकता है।
- परिणामस्वरूप ऐसे विभिन्न सामाजिक समूह एक साथ किसी विशेष उद्देश्य के लिये एक साथ शामिल होते हैं, जबकि वे बिल्कुल विपरीत विचारधारा के हो सकते हैं। श्रीलंका में ध्रुवीकरण के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

मुस्लिम-तमिल संघर्ष:

- श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान समुदाय के सदियों से तमिलों के साथ अच्छे संबंध रहे थे परंतु वर्ष 1990 में श्रीलंका के उत्तरी भाग से मुस्लिमों की 75,000 की आबादी को तमिलों/लिट्टे द्वारा निष्कासित कर दिया गया तथा इस क्षेत्र में तमिलों को 'मातृभूमि' (Homeland) के 'एकमात्र प्रतिनिधि' के रूप में घोषित किया गया।
- वर्ष 2009 में जातीय-संघर्ष की समाप्ति के बाद मुस्लिम समुदाय धीरे-धीरे पुन: उत्तरी इलाकों की ओर लौटने लगे परंतु श्रीलंकाई सरकार द्वारा उनके पुनर्वास के लिये कोई सुसंगत योजना नहीं बनाई गई है।
- विस्थापित परिवारों को सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें आवास सुविधा, भूमि पर दावों और आजीविका के संबंध में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

आतंकवाद और 'इस्लामोफोबिया':

- वर्ष 2012 के अंधराष्ट्रवादी दस्तों द्वारा किये जाने वाले हमलों (Chauvinist Goon Squads) तथा वर्ष 2019 के ईस्टर रविवार के बम विस्फोटों के बाद मुस्लिमों को व्यापक तिरस्कार तथा हमलों का सामना करना पड़ा है।

- 11 सितंबर 2001 (9/11) को अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किये गए 'आतंक पर युद्ध' (War on Terror) तथा भारत में हिंदुत्व के मुस्लिम विरोधी सिद्धांतों ने भी श्रीलंका में अराजकतावादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।
- मुस्लिमों के खिलाफ होने वाली हिंसा के समय सिंहली और तमिल समुदाय के बीच सहयोग देखने को मिलता है तथा इन समूहों द्वारा 'चरम राष्ट्रवाद' का प्रदर्शन किया जाता है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि 'इस्लामोफोबिया' (Islamophobia) के कारण न केवल दक्षिण एशिया में अपितु संपूर्ण विश्व में मुस्लिम के खिलाफ इस प्रकार की एकजुटता देखने को मिलती है।
- 'इस्लामोफोबिया' में इस्लाम या मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जाता है।

राजनीति का प्रमुख हथियार:

- ध्रुवीकरण को बढ़ाने में न केवल श्रीलंका की धार्मिक-नृजातीय स्थिति ने योगदान दिया है , राजनीति में भी इसे एक प्रमुख हथियार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
- COVID-19 महामारी जनित आर्थिक मंदी ने श्रीलंका की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। वर्तमान समय में सत्तावादी और सैन्यीकृत शासन को राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिये एक रामबाण के रूप में देखा जा रहा है, ऐसे में उत्तरी इलाकों में मुसलमानों के भविष्य पर संकट और मंडरा सकता है।

श्रीलंका में जातीय संघर्ष और भारत:

- वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के बाद से ही श्रीलंका या तत्कालीन 'सीलोन' को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा था।
- सिंहलियों ने औपनिवेशिक काल के दौरान तमिलों के प्रति ब्रिटिश पक्षपात का विरोध किया और आज़ादी के बाद के वर्षों में उन्होंने तमिल प्रवासी बागान श्रमिकों को देश से विस्थापित कर दिया तथा सिंहल को आधिकारिक भाषा बना दिया गया।
- वर्ष 1972 में सिंहलियों द्वारा 'सीलोन' का नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया और 'बौद्ध धर्म' को राष्ट्र का प्राथमिक धर्म घोषित कर दिया गया।
- तमिलों और सिंहलियों के बीच जातीय तनाव और संघर्ष बढ़ने के बाद वर्ष 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरन के नेतृत्व में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम/ लिट्टे(Liberation Tiger of Tamil Eelam-LTTE) का गठन किया गया और इसने उत्तरी एवं पूर्वी श्रीलंका, जहाँ अधिकांश तमिल निवास करते थे, में 'एक तमिल मातृभूमि' के लिये प्रचार करना प्रारंभ कर दिया।
- वर्ष 1983 में लिट्टे ने श्रीलंकाई सेना की एक टुकड़ी पर हमला कर दिया, इसमें 13 सैनिकों की मौत हो गई। विदित है कि इस घटनाक्रम से श्रीलंका में दंगे भड़क गए जिसमें लगभग 2,500 तमिल लोग मारे गए। इसके पश्चात् श्रीलंकाई तमिलों और बहुसंख्यक सिंहलियों के मध्य प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हो गया।
- ध्यातव्य है कि भारत ने श्रीलंका के इस गृहयुद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई और श्रीलंका के संघर्ष को एक राजनीतिक समाधान प्रदान करने के लिये वर्ष 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- इसके बाद श्रीलंकाई जनता को लगा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाज़ी कर रहा है उसके बाद वर्ष 1989 में भारत द्वारा अपनी 'शांति सेना' को लक्ष्य हासिल किये बिना ही वापस बुला लिया गया। अंतत: सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया क्योंकि वर्ष 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया।

बहुलवाद की दिशा में कदम:

- श्रीलंका को अपने अतीत के अनुभवों से सीखने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की दिशा में पर्याप्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों की न केवल उत्तरी श्रीलंका में अपितु आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिये।
- अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दूर करने के लिये उनके आर्थिक कायाकल्प के लिये संसाधनों के वितरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से एक महान सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल के वर्तमान समय के दौरान।
- दक्षिण एशियाई देशों को मानवाधिकारों से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण संधियों की पुष्टि करके अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये अपनी प्रतिबद्धता को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

नोट :

निष्कर्ष:

- लगातार संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास को हासिल किया है। वर्तमान समय में श्रीलंका विकास के स्तर तथा जनसंख्या नियंत्रण में एशियाई देशों में अग्रणी है। अत: वर्तमान समय में श्रीलंका को न केवल आर्थिक विकास पर अपितु 'बहुलवाद' पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि एक शांत, समृद्ध तथा अधिक कनेक्टेड दक्षिण एशिया का निर्माण किया जा सके।

  "विविधता में एकता को बनाए रखना ही हमारी सुंदरता और हमारी सभ्यता की असली परीक्षा होगी"- महात्मा गाँधी

दृष्टि The Vision

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण

संदर्भ

हाल ही के कुछ वर्षों में राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण का अपने चरम पर पहुँचना बहुत आम हो गया है। दिल्ली और यहाँ तक कि संपूर्ण सिंधु-गंगा के मैदानों में वायु प्रदूषण काफी जटिल घटना है, जो कि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रदूषकों की उपस्थिति है, इसके बाद मौसम और स्थानीय परिस्थितियाँ आती हैं। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ष अक्तूबर माह के आस-पास दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर तेज़ी से बढ़ने लगता है और प्रदूषण के कारणों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत दिल्ली-एनसीआर (Delhi- NCR) के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के लिये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की 50 टीमें तैनात की गई हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि पराली जलाने की समस्या का दिल्ली के वायु प्रदूषण में केवल 4 प्रतिशत का योगदान है।

अक्तूबर माह में प्रदूषण बढ़ने के कारण

- आमतौर पर अक्तूबर माह को उत्तर पश्चिम भारत में मानसून के निवर्तन के लिये जाना जाता है। मानसून के दौरान हवाओं के बहने की दिशा पूर्व की ओर होती है, बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली ये हवाएँ अपने साथ नमी लेकर आती हैं, जिससे भारत के इस हिस्से में बारिश होती है।
- लेकिन जब यहाँ मानसून निवर्तन होता है तो हवाओं के बहने की दिशा पूर्व से बदलकर उत्तर-पश्चिम हो जाती है।

मानसून का निर्वतन: मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है । सितंबर के आरंभ से उत्तर-पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्तूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है । लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर - पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है ।

- एक अध्ययन के मुताबिक, सर्दियों में दिल्ली की 72 प्रतिशत हवा उत्तर पश्चिम से आती है, जबकि शेष 28 प्रतिशत सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों से आती है। उत्तर-पश्चिम से आने वाली इन हवाओं के साथ राजस्थान और यहाँ तक कि कभी-कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धूल-मिट्टी भी दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में पहुँच जाती है।
  - यही कारण है कि वर्ष 2017 में इराक, सऊदी अरब और कुवैत में आए एक तूफान ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता को काफी प्रभावित किया था।
- हवाओं की दिशा के साथ-साथ तापमान में गिरावट भी दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करती है। जैसे-जैसे तापमान में गिरावट आती है, तापीय व्युत्क्रमण के चलते एक परत बन जाती है, जिससे प्रदूषक वायुमंडल की ऊपरी परत में विस्तारित नहीं हो पाते हैं। ऐसा होने पर वायु में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है।

तापीय व्युत्क्रमण: सामान्य परिस्थितियों में ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ तापमान घटता जाता है। जिस दर से यह तापमान कम होता है, इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। इस प्रकार ऊँचाई के साथ ताप बढ़ने की प्रक्रिया को तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। तापमान व्युत्क्रमण की परिघटना के दौरान धरातल के समीप ठंडी वायु और उसके ऊपर गर्म वायु होती है।

- इसके अलावा, प्रदूषकों को फैलाने के लिये उच्च गति वाली हवाएँ बहुत प्रभावी होती हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में हवा की गति में कमी आती है। इन मौसम संबंधी कारकों के संयोजन से यह क्षेत्र प्रदूषण का शिकार हो जाता है। जब पराली के धुएँ और धूल भरी आंधी जैसे कारक शहर में पहले से व्याप्त प्रदूषण के स्तर में जुड़ जाते हैं, तो वायु की गुणवत्ता में ओर अधिक गिरावट आती है।

दिल्ली के वायु प्रदूषण में किसानों की भूमिका

- पराली, धान की फसल कटने के बाद बचा बाकी हिस्सा होता है, जिसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं।
- किसान धान पकने के बाद फसल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं क्योंकि वही काम का होता है बाकी किसान के लिये बेकार होता है। उन्हें अगली फसल बोने के लिये खेत खाली करने होते हैं जिस वजह से पराली को जला दिया जाता है।
- आजकल पराली इसलिये भी अधिक होती है क्योंकि किसान अपना समय बचाने के लिये मशीनों से धान की कटाई करवाते हैं। मशीनें धान का केवल ऊपरी हिस्सा काटती हैं और नीचे का हिस्सा अब पहले से ज़्यादा बचता है। इसे हरियाणा तथा पंजाब में पराली कहा जाता है।
- इस प्रथा को व्यापक रूप से वर्ष 2009 से शुरू किया गया, जब पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने धान की बुआई में देरी करने वाले कानून पारित किये। इस कानून को पारित करने का उद्देश्य भूजल संरक्षण करना था क्योंकि नया बुवाई चक्र मानसून के साथ सुमेलित था। हालाँकि, इससे किसानों के पास धान की कटाई, साफ खेतों और अगले चक्र के लिये गेहूँ बोने के लिये बहुत कम समय बचता है। धान के पुआल और डंठल में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और इसका इस्तेमाल पशुओं को खिलाने के लिये नहीं किया जाता है।

क्या पराली दहन वायु प्रदूषण का एकमात्र प्रबल कारक है?

- आईआईटी-कानपुर द्वारा वर्ष 2015 में दिल्ली के वायु प्रदूषण पर आयोजित एक अध्ययन में यह भी कहा गया है कि सर्दियों में दिल्ली में पर्टिकुलर मैटर में 17-26% की वृद्धि बायोमास के जलने के कारण होती है। पिछले कुछ वर्षों में, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) ने दिल्ली के वायु प्रदूषण में वृद्धि हेतु पराली के योगदान की गणना करने के लिये एक प्रणाली विकसित की है।
- पराली दहन के चरम समय में वायु प्रदूषण में इसका योगदान 40% तक बढ़ गया था। पिछले कुछ दिनों में यह 2%-4% हो गया है, यह दर्शाता है कि वायु की गुणवत्ता में गिरावट के हेतु केवल पराली दहन ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि अन्य कारक भी इसमें शामिल हैं।
- पराली दहन का समय सामान्यत: लगभग 45 दिनों का होता है किंतु दिल्ली में वायु, फरवरी तक प्रदूषित रहती है।

दिल्ली में प्रदूषण के अन्य बड़े स्रोत क्या हैं?

- दिल्ली में हवा की निम्न गुणवत्ता के लिये धूल और वाहनों का प्रदूषण दो सबसे बड़े कारण हैं। अक्तूबर और जून के बीच वर्षा की अनुपस्थिति के चलते शुष्क ठंड का मौसम होता है जिससे पूरे क्षेत्र में धूल का प्रकोप बढ़ जाता है। आईआईटी कानपुर के एक अध्ययन में कहा गया है कि धूल PM 10 में 56% और PM 2.5 में 38% की वृद्धि हेतु ज़िम्मेदार है।
- सर्दियों में प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण वाहनों का प्रदूषण है। IIT कानपुर के अध्ययन के अनुसार, सर्दियों में PM 2.5 का 20% वाहन प्रदूषण से आता है।
- सामान्यत: वायु प्रदूषण प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारकों द्वारा होता है। प्राकृतिक कारकों में ज्वालामुखी क्रिया, वनाग्नि, कोहरा, परागकण, उल्कापात आदि हैं। परंतु प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न वायु प्रदूषण कम खतरनाक होता है क्योंकि प्रकृति में स्व-नियंत्रण की क्षमता होती है।
- मानवीय क्रियाकलापों में वनोन्मूलन, कारखाने, परिवहन, ताप विद्युत गृह, कृषि कार्य, खनन, रासायनिक पदार्थ, अग्नि शस्त्रें का प्रयोग तथा आतिशबाजी द्वारा वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है।

वायु प्रदूषण के प्रभाव

- हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, अंधापन, श्रवण शक्ति कमज़ोर होना, त्वचा रोग आदि बीमारियाँ पैदा होती हैं।
- वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ा है क्योंकि वर्षा के पानी में सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि ज़हरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ी है जिससे पेड़-पौधे, भवनों व ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुँचा है।
- बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए वातावरण में कार्बन-डाइऑक्साइड (CO_2) की मात्रा के दोगुनी होने की संभावना है। CO_2 में हुई इस वृद्धि से पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप ध्रुवीय बर्फ, ग्लेशियर आदि पिघलेंगे। परिणामस्वरूप यह तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि होगी, इससे कई तटीय देशों और राज्यों के डूबने की संभावनाएँ हैं। यदि वर्षा के पैटर्न (Pattern) में बदलाव हुआ तो इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होगा।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत, साँस की बीमारियों और अस्थमा से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में अग्रणी है। कम दृश्यता, अम्ल वर्षा और ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर ओज़ोन की उपस्थिति के माध्यम से भी वायु प्रदूषण पर्यावरण को प्रभावित करता है।

नोट :

वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय

- वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाना तथा कारखानों की चिमनियों की अधिक ऊँचाई व इनमें फिल्टरों के उपयोग की अनिवार्यता आवश्यक है।
- जनसंख्या की वृद्धि को स्थिर करने की आवश्यकता है जिससे खाद्य व आवास के लिये पेड़ों व वनों को न काटना पड़े। साथ ही आम जनता को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों का ज्ञान कराना भी ज़रूरी है जिससे वे स्वयं प्रदूषण नियंत्रण के सार्थक उपायों को अपनाकर इसे नियंत्रित करने में योगदान दे सकें। इसके लिये सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों का उपयोग करना चाहिये।
- गाड़ियों एवं दुपहिया वाहनों की ट्यूनिंग (Tuning) की जानी आवश्यक है ताकि अधजला धुआँ बाहर आकर पर्यावरण को दूषित न करे। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। निर्धूम चूल्हा व सौर ऊर्जा की तकनीक को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- इसको पाठ्यक्रम में शामिल करके बच्चों में इसके प्रति चेतना जागृत की जानी चाहिये।

दिल्ली सरकार का प्रदूषण विरोधी अभियान

दिल्ली सरकार ने हाल ही में वृहद् स्तर का एक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसे 'युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध' (Yuddh Pradushan Ke Viruddh) नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत पेड़ों के प्रत्यारोपण की नीति, कनॉट प्लेस (दिल्ली) में एक स्मॉग टॉवर का निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और पराली को जलाने से रोकना जैसी मुहिम शामिल हैं।

- इससे दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता का मुकाबला करने में मदद मिलेगी जो सर्दियों के मौसम में और भी अधिक खराब हो जाती है।

वृक्ष प्रत्यारोपण नीति (Tree Transplantation)

- ट्री ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य किसी विशेष स्थान से किसी पेड़ को उखाड़ना और उसे दूसरे स्थान पर लगाना है।
- इस नीति के तहत किसी भी विकासात्मक परियोजना से प्रभावित होने वाले कम-से-कम 80% पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्यारोपित पेड़ों के न्यूनतम 80% को अच्छी तरह से विकसित होना चाहिये और यह सुनिश्चित करना उन एजेंसियों की ज़िम्मेदारी होगी जो सरकार से इस विकासात्मक परियोजना हेतु अनुमति लेंगे।
- यह प्रत्यारोपण, प्रत्येक काटे गए वृक्ष के लिये 10 पौधे लगाने के मौजूदा प्रतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त होगा।
- सरकार द्वारा एक समर्पित ट्री ट्रांसप्लांटेशन सेल का गठन किया जाएगा।

स्मॉग टॉवर (Smog Tower):

- एक स्मॉग टॉवर, जो एक मेगा एयर प्यूरीफायर के रूप में काम करेगा, को दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिये गए सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर 2019 के आदेश के अनुसार स्थापित किया जाएगा।
- दिल्ली में स्थापित किये जाने वाले टॉवर आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली और मिनेसोटा विश्वविद्यालय के बीच सहयोग का परिणाम होंगे।
- नीदरलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया और पोलैंड के शहरों में हाल के वर्षों में स्मॉग टावरों का प्रयोग किया गया है। नीदरलैंड के रॉटरडैम में वर्ष 2015 में ऐसा पहला टॉवर बनाया गया था।
- दुनिया का सबसे बड़ा एयर-प्यूरिफाइंग टॉवर शीआन, चीन में है।
- टॉवर प्रदूषित वायु के प्रदूषकों को ऊपर से सोख लेगा और नीचे की तरफ से स्वच्छ वायु छोड़ेगा।

इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles)

- सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक राजधानी में पंजीकृत कुल नए वाहनों में से एक-चौथाई वाहनों के लिये ईवीएस खाता बनाना है।
- इलेक्ट्रिक वाहन के लक्ष्य को इन वाहनों की खरीद हेतु प्रोत्साहन द्वारा, पुराने वाहनों पर मार्जिन लाभ देने, अनुकूल ब्याज पर ऋण देने और सड़क करों में छूट देने आदि के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
- हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 को अधिसूचित किया जो ईवीएस के साथ निजी चार पहिया वाहनों के बजाय दोपहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन, साझा वाहनों और माल-वाहक द्वारा प्रतिस्थापन पर सबसे अधिक ज़ोर देती है।

नोट :

इन कदमों के अलावा सरकार दिल्ली में थर्मल प्लांटों और ईंट भट्टों के साथ-साथ आस-पास के राज्यों में जलने वाली पराली से उत्पन्न प्रदूषण के रासायनिक उपचार पर भी ध्यान केंद्रित करती है। साथ ही बीएस VI (क्लीनर) ईंधन की शुरूआत, इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु प्रोत्साहन, आपातकालीन उपाय के रूप में ऑड-ईवन का प्रयोग दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण हेतु उठाए गए अन्य कदम हैं।

आगे की राह:

लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों के न चलने से प्रदूषण में भारी कमी आई और इस वर्ष दिल्ली में वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखा गया। किंतु पुन: वाहनों के चलने, तापमान में गिरावट और पराली जलाने के साथ, दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब होने लगी है। COVID-19 महामारी परिदृश्य में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की आवश्यकता अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी बीमारियाँ COVID-19 से प्रभावित लोगों की स्थिति को और खराब कर सकती हैं। चूँकि अनुच्छेद 21 में दिये गए 'जीवन जीने के अधिकार' में स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार निहित है, अत: सरकार और नागरिक दोनों को बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए प्रदूषण के विरुद्ध मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है।

दृष्टि The Vision

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

अनियोजित शहरीकरण और प्राकृतिक आपदाएँ

संदर्भ:

पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में भी महत्त्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है। देश की आर्थिक प्रगति के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन और अनियोजित शहरीकरण में भारी वृद्धि हुई है। विकास की इस दौड़ में शहरों के निर्माण में कई बड़े महत्त्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी भी की जाती रही है, जो प्राकृतिक आपदाओं की विभीषिका को कई गुना बढ़ा देते हैं। हाल ही में हैदराबाद में हुई मूसलाधार बारिश में 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और दो सप्ताह के बाद अभी भी हज़ारों घर में पानी भरा हुआ है। भारतीय शहरों में प्राकृतिक घटनाओं की विभीषिका और इसकी आवृत्ति में वृद्धि के कारण देश में शहरी नियोजन की योजनाओं की प्रभाविकता पर प्रश्न उठने लगे हैं।

इस आलेख में भारत में शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के मामलों में वृद्धि के कारण, इसके प्रबंधन की चुनौतियों और समाधान के विकल्पों को समझने का प्रयास किया जाएगा।

जल प्रबंधन में भारतीय शहरों की स्थिति:

- हैदराबाद में बारिश के कारण इस प्रकार का विनाश पहले कभी नहीं देखा गया, हालाँकि ऐसी घटनाएँ हैदराबाद तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि हाल के वर्षों में देश के अन्य शहरों में भी ऐसी ही घटनाएँ देखने को मिली हैं।
- वर्ष 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ के कारण जन-धन की भारी क्षति हुई थी।
- पिछले कुछ वर्षों से मानसून के दौरान गुरुग्राम (हरियाणा) में भी कई बार यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है।
- मुंबई (महाराष्ट्र) में जल निकासी हेतु प्रभावी तंत्र के अभाव के कारण इस महानगर के लिये मानसून, बाढ़ और भारी नुकसान का पर्याय बन चुका है।
- इसी प्रकार हाल के वर्षों में देश के अन्य छोटे बड़े शहरों में भी वर्षा, भू-स्खलन या ऐसी ही अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण जन-धन की भारी क्षति देखने को मिली है।

कारण:

जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक वर्षा:

- पिछले कुछ वर्षों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा के मामले और इसकी अनिश्चितता में वृद्धि देखने को मिली है।
- इसी वर्ष अगस्त माह के पहले पाँच दिनों में मुंबई में 459.3 मिमी. बारिश हुई जो इस पूरे माह के औसत का 78% है।
- इसी वर्ष दिल्ली में पूरे बारिश के मौसम की 50% वर्षा जुलाई और अगस्त के 4 दिनों (लगातार नहीं) में ही हो गई।
- हैदराबाद में वर्ष 2016 में एक ही दिन में अप्रत्याशित वर्षा देखने को मिली, 21 सितंबर, 2016 को हैदराबाद में 16 सेमी. वर्षा हुई जो पिछले 16 वर्षों में सबसे अधिक थी।
- इसी प्रकार सितंबर 2017 में हैदराबाद में हुई बारिश में सितंबर माह की औसत बारिश की तुलना में 450% वृद्धि देखने को मिली।
- सितंबर 2019 में हैदराबाद में हुई बारिश का आँकड़ा पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक रहा जबकि अक्तूबर, 2019 में यह आँकड़ा 62% अधिक रहा।
- अक्टूबर 2020 में हैदराबाद में हुई वर्षा की मात्रा पिछले 100 वर्षों में इस माह के आँकड़ों में सबसे अधिक है।

- वर्ष 2017 में 'नेचर कम्युनिकेशंस' (Nature Communications) नामक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, जहाँ बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब की आवृत्ति में कमी देखने को मिली है वहीं अरब सागर में मानसूनी हवाओं की परिवर्तनशीलता में वृद्धि हुई है, इन मानसूनी हवाओं के कारण मध्य भारत में अधिक वर्षा होती है।

प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन और क्षरण:

- मानसून के दौरान बाढ़ के मैदानों में अधिकांश नदियाँ के जल में वृद्धि देखने को मिलती है, ऐसे में झील, आर्द्र्भूमि आदि अतिरिक्त जल को सोखने में सहायता करती हैं, वहीं वनाच्छादित भूमि मिट्टी के कटाव को रोकने और भू-जल स्तर को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- प्राकृतिक प्रणाली के ये महत्त्वपूर्ण घटक बाढ़ के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं परंतु अनियोजित शहरीकरण के कारण बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हुआ है।
- हाल के वर्षों में बंगलुरू और हैदराबाद जैसे शहरों में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और अतिक्रमण के कारण कई झीलें और एक दूसरे से जुड़ी प्राकृतिक जल निकासी की प्रणाली नष्ट हो गई हैं।
  - वर्ष 1960 में बंगलुरू में 262 झीलें थी परंतु वर्ष 2016 में इनकी संख्या घटकर मात्र 10 ही रह गई, इसकी प्रकार हैदराबाद में वर्ष 1989 से वर्ष 2001 के बीच कुल 3,245 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले जल निकाय (अलग-अलग स्थानों पर) नष्ट हो गए।
  - वर्ष 1947 से वर्ष 2011 के बीच चेन्नई के पल्लीकरनई आर्द्रभूमि का लगभग 90% हिस्सा अनियोजित शहरीकरण के कारण नष्ट हो गया।
- मुंबई में समुद्र के समीप तटीय सड़क के निर्माण के लिये समुद्री भूमि का उपयोग करने की योजना संभवत: इस क्षेत्र में ज्वार के समय समुद्री जल सोखने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
- इसी प्रकार दिल्ली में भी यमुना के निकट भारी मात्रा में अतिक्रमण बढ़ने से मानसून में नदी के जल में वृद्धि के कारण बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

शहरी आबादी में वृद्धि:

- वर्ष 2001 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, देश की कुल आबादी का लगभग 27.8% (लगभग 285 मिलियन लोग) हिस्सा शहरों (सबसे अधिक दिल्ली) में रहता था जबकि वर्ष 2011 में यह आँकड़ा 31.1% तक पहुँच गया।
- इसी प्रकार वर्ष 1991 में देश में कुल 4689 कस्बे थे जो वर्ष 2001 में बढ़कर 5161 और वर्ष 2011 में 7935 हो गई।
- विश्व बैंक (World Bank), द्वारा वर्ष 2015 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शहरी आबादी का अनुपात 31% न होकर लगभग 55.3% है।

अप्रभावी जल प्रबंधन:

- हैदराबाद शहर की सदियों पुरानी (1920 के दशक में विकसित) जल निकासी प्रणाली बार-बार आने वाली बाढ़ जैसी स्थितियों के लिये सबसे अधिक उत्तरदायी है, यह शहर के एक छोटे से भाग को ही कवर करता है।
- पिछले दो दशकों में यह शहर अपने मूल निर्मित क्षेत्र से कम-से-कम चार गुना (क्षेत्रफल में) विकसित हुआ है, हालाँकि शहर के विकास के साथ जल प्रबंधन प्रणाली को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।
- हैदराबाद में आई हालिया बाढ़ (अक्तूबर 2020) का सबसे बड़ा कारण यह था कि पानी को समय से नहीं छोड़ा गया और बाद में अनियंत्रित तरीके से पानी छोड़े जाने के कारण कुछ बाँध टूट गए।
- मुंबई की जल निकास प्रणाली में भी लंबे समय से कोई बड़ा सुधार नहीं किया गया है।
- हाल के वर्षों में बारिश के मौसम में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलते रहे हैं परंतु इन वर्षों के दौरान जल निकासी प्रणाली में सुधार की बजाय बारिश के स्तर पर अधिक चर्चा की जाती रही है।
- वर्ष 2017 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में देश में बाढ़ की विभीषिका के लिये प्रशासनिक कमियों को उत्तरदायी बताया। CAG की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (National Flood Commission) के सुझावों को लागू करने में सक्रियता का आभाव देखा गया।

दुष्प्रभाव:

- स्वास्थ्य: शहरी क्षेत्रों में आबादी की सघनता के कारण बाढ़ जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। बाढ़ में चोटिल या मारे गए लोगों के अतिरिक्त गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के मामलों में वृद्धि होती है। अत्यधिक सघन आबादी वाली अनाधिकृत बस्तियों में यह समस्याएँ कई गुना बढ़ जाती हैं।
- आजीविका और परिवहन: बाढ़ की स्थिति में परिवहन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। परिवहन के प्रभावित होने से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में भी चुनौती का सामना करना पड़ता है। भारतीय शहरों में आज भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आबादी बहुत अधिक है, ऐसे में दैनिक गतिविधियों के प्रभावित होने से इन लोगों के लिये अपनी आजीविका चलाना बहुत ही कठिन हो जाता है।
- अर्थव्यवस्था: बाढ़ के कारण अवसंरचना को होने वाली क्षति के साथ आर्थिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होती हैं। इसके साथ ही इस प्रकार की आपदा से निपटने और पुनर्वास के कार्यक्रमों में भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशु-पक्षियों के प्रवास और क्षेत्र विशेष की जैव-विविधता को भी भारी क्षति होती है।

अन्य मुद्दे:

- शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या से जुड़े मुद्दे उठाते समय अधिकांश नागरिक प्रदर्शन, राजनीतिक या मीडिया प्रयास सरकार की निष्क्रियता, सार्वजनिक बनाम निजी संपत्ति आदि मुद्दों तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसे अधिकांश मामलों में भूमि उपयोग में बदलाव, प्राकृतिक संरक्षण, या स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों (किसान, मछुआरे आदि) की भूमिका को अनदेखा कर दिया जाता है।

समाधान:

- लक्षित योजनाएँ और सामूहिक प्रयास: हाल के वर्षों में भारत के अनेक शहरों में देखी गई बाढ़ को नगर निगम या राज्य सरकारों के लिये रोक पाना बहुत ही कठिन होगा। ऐसी आपदाओं को ऊर्जा और अन्य संसाधनों में मज़बूत तथा लक्षित निवेश के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके लिये केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन एवं अन्य सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करना होगा। वाटरशेड प्रबंधन तथा आपातकालीन जल निकासी योजनाओं के संदर्भ में नगर निकायों, राज्य सिंचाई विभाग, केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के बीच समन्वय को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली: शहरों के विकास के साथ-साथ जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये जिसके तहत प्राकृतिक स्रोतों (जैसे वर्षा, झरने आदि) से प्राप्त जल के संरक्षण से लेकर जल के पुनर्प्रयोग (Recycling) आदि उपायों को बढ़ावा जाना चाहिये।
  - स्पंज सिटी (Sponge City) का विकास: सपंज सिटी की अवधारणा से आशय शहरों की अधिक पारगम्य बनाना है, जिससे वहाँ वर्षा से प्राप्त होने वाले जल को प्राकृतिक रूप से संरक्षित कर उसका पूरा प्रयोग किया जा सके। ऐसे शहरों में अनुपयुक्त जल को बहने देने की बजाय भूमि में अवशोषित किया जाता है, जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से फिल्टर होते हुए शहरी जलभृतों तक पहुँच जाता है। इसके लिये शहरी विकास के साथ-साथ प्राकृतिक जल स्रोतों और जैव-विविधता के तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण: किसी भी शहर द्वारा बाढ़ जैसी आपदा से निपटने की क्षमता उस क्षेत्र में उपस्थित जल निकायों, वन्य भूमि आदि की स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करती है। बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिये प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनके आस-पास अनियंत्रित हस्तक्षेप को कम करना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों को मज़बूत किया जाना चाहिये।

आगे की राह:

- शहरों के निर्माण और विकास के लिये वैज्ञानिक आँकड़ों को आधार के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये।
- प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान की प्रणाली को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- किसी भी आपदा में समाज के निचले वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं ऐसे में सभी वर्गों के लिये वहनीय लागत पर सुरक्षित घरों का निर्माण किया जाना चाहिये।
- केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई 'अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन' (अमृत), राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और विस्तार योजना (हृदय) और स्मार्ट सिटी मिशन इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

नोट :